सत्यमेव जयते

भारी उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF
HEAVY INDUSTRIES

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

प्रबोधन

अर्द्धवार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका

वर्ष -2025-26, अंक - 3, सितंबर, 2025

राजभाषा

ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED

(भारत सरकार का एक उद्यम / A Government of india Enterprise)

यह कलात्मक पेंटिंग श्री सुमंत शेखर चंद्रा, वरिष्ठ परिचारक द्वारा निर्मित है। श्रवण बाधा के बावजूद वे अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यंत सजग, समर्पित और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। चित्रकला उनके अंतर्निहित सृजनात्मक भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से वे सौंदर्य और संवेदनशीलता का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करते हैं। उनकी कृतियाँ न केवल दृष्टि को आनंदित करती हैं, बल्कि प्रेरणा भी प्रदान करती हैं।

इस अंक में

क्र	शीर्षक		पृष्ठ
1	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश		6
2	संपादकीय		7
3	संस्कृति कृषि एवं ग्रामीण विकास	जोनाली बनर्जी	8
4	कुंभ में सहकारिता	पंपा हलदर	10
5	सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख सेवाएँ : सहकार से समृद्धि की ओर	संघमित्रा मित्रा	12
6	सहयोग की एक नदी : प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025	तीर्थ रे	14
7	ग्रामीण विकास से राष्ट्र निर्माण तक : सहकारिता का सफर	रवि मेहता	17
8	सहकारिता : आत्मनिर्भरता की नींव	अमिताभ भारद्वाज	19
9	सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास	अरविंद कुमार चौधरी	20
10	गाँव से शहर तक : सहकारिता आंदोलन की यात्रा	अरुण कुमार	22
11	सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास : समृद्धि का सोपान	विशाल	23
12	सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण	सौरभ मुस्कान	25
13	भारतीय परिपेक्ष्य में हिंदी भाषा के कार्यान्वयन की पहल	प्रकाश गुप्ता	29
14	एक बूंद पानी	पापिया घोष दस्तीदार	30
15	रवीन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी	द्वैपायन भट्टाचार्य	32
16	सहकारिता की शक्ति	वरुण कांति दास	33
17	समय-समय की बात है	कुनाल वैद्य	34
18	जूते की महासभा	खेम चंद माली	36
19	स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) : भारतीय शहरों का विकास	श्वेतांशु	37
20	हमारा देश	तरुण कुमार दत्ता	38
21	दो पहियों पर एक दिन - बोरा गुफाओं और अराकु घाटी की रोमांचक यात्रा	अभिरूप मैत्र	39
22	निराशा का शमन	आई डी मिश्र	41
23	छोटी आदतें, बड़े नतीजे : प्रेरणा को बनाए रखने का मनोविज्ञान	डॉ. प्रियंका कुमारी	42
24	हमारा बचपन	राखी कर	44
25	सहकारिता का गान	जयश्री बंसल	44
26	मन की सरहदें	नीलकान्त दास	45
27	मानवता का उत्थान	देवयानी भट्टचार्य	45
28	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	महुआ जाना	46
29	शब्द एक अर्थ अनेक		48
30	हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में राजभाषा विभाग की डिजिटल पहलें		49
31	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम		50
32	हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि में वृद्धि		51
33	सेवा निर्वित होनेवाला कर्मचारी (जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक)		52
34	विविध गतिविधियां		53-55

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं को सुनने हेतु पृष्ठ पर प्रदत्त क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करें अथवा स्पीकर चिह्न पर क्लिक करें।

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा हैः
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

(अमित शाह)

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

कम्पनी की गृह पत्रिका प्रबोधन के इस तृतीय एवं विशेष अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आधारभूत संरचना किसी भी राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार होती है। ब्रिज एण्ड रूफ देश के अवसंरचना विकास को गति एवं दिशा प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था के रूप में निरंतर योगदान दे रहा है।

अपने 106 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में कम्पनी ने सड़क, रेल, पुल, विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्र एवं रिफाइनरी जैसी प्रमुख अवसंरचना आवश्यकताओं की पूर्ति तथा परामर्श सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करते हुए ब्रिज एण्ड रूफ ने अवसंरचना विकास को सशक्त एवं प्रभावी स्वरूप प्रदान किया है तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों और सतत विकास को सर्वोपरि रखा है । ये उपलब्धियाँ हमारे कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सहयोगी हितधारकों तथा सरकार के निरंतर समर्थन से ही संभव हो सकी हैं। नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से हम भविष्य में भी अवसंरचना विकास एवं परामर्श सेवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं ।

कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह अपेक्षित है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दैनिक शासकीय एवं कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करें। हिंदी भारतीय संस्कृति की चेतना की वाहक तथा राष्ट्रीय एकता की सशक्त पहचान है। भाषा और संस्कृति के विविध रंगों से परिपूर्ण हमारे देश में हिंदी ने राजभाषा के रूप में सरकारी संस्थानों के आपसी संवाद एवं कार्य-प्रणाली को सरल, सहज और प्रभावी बनाया है।

मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हिंदी के प्रयोग को केवल कार्यालयीन दायित्वों तक सीमित न रखते हुए, इसे गर्व के साथ अपने दैनिक जीवन में भी अधिक से अधिक अपनाएँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी कर्तव्यनिष्ठा, सजगता और प्रतिबद्धता के साथ हम राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी निरंतर नई उपलब्धियाँ प्राप्त करते रहेंगे।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम का पूर्णतः अनुपालन करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके सफल क्रियान्वयन में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने का संकल्प लें तथा अपने-अपने कार्यस्थलों पर हिंदी के प्रयोग हेतु अनुकूल, सकारात्मक और उत्साहवर्धक वातावरण का सृजन करें।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रचार-प्रसार में पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रबोधन के तृतीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका न केवल निगम के कार्मिकों के लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन का सशक्त माध्यम है, बल्कि उनके विचारों, अनुभवों एवं उपलब्धियों को अभिव्यक्ति देने का प्रभावी मंच भी प्रदान करती है।

इस नवीनतम अंक के सफल प्रकाशन हेतु मैं संपादकीय टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ तथा सभी कार्मिकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

राजेश कुमार सिंह

प्रबंधकीय मंडल

प्रधान संरक्षक

श्री राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री रवि कुमार
निदेशक(परियोजना प्रबंधन)

श्री नव रत्न गुप्ता
निदेशक (वित्त)

मार्गदर्शन

श्रीमती नम्रता मेहता
समूह महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट सेवाएं)

प्रधान संपादक

श्री सौरभ मुस्कान
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा एवं मानव संसाधन)

संपादन सहयोग

श्री द्वैपायन भट्टाचार्य
उप महाप्रबंधक(मानव संसाधन)

श्री रोहन खरे
वरिष्ठ प्रबंधक-I (कॉर्पोरेट योजना)

श्री नीलकान्त दास
उप प्रबंधक (राजभाषा)

संपादकीय

आधुनिक भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और समयोचित विषय है। सहकारिता केवल एक आर्थिक या संस्थागत व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन का अभिन्न अंग रही है। यही सहकारिता की आत्मा है, जो व्यक्ति को समाज से और समाज को राष्ट्र से जोड़ती है।

भाषा और सहकारिता के मूल में समान भाव निहित है-दोनों का उद्देश्य आपसी जुड़ाव को सुदृढ़ करना है। जहाँ भाषा विचारों और भावनाओं को एक सूत्र में पिरोती है, वहीं सहकारिता श्रम, संसाधनों और समय को सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संगठित करती है। इस दृष्टि से सहकारिता और भाषा एक-दूसरे की पूरक हैं। हिन्दी, जो देश की राजभाषा होने के साथ-साथ संपर्क भाषा भी है, सहकारिता के इस भाव को व्यापक स्वर प्रदान करती है।

भारत सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। यहाँ की सभी भाषाएँ और बोलियाँ हमारी जीवंत धरोहर हैं, जो विविधता में एकता के विचार को साकार करती हैं। हिन्दी ने इस बहुभाषी परिवेश में संवाद का सेतु बनकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया है।

इस अंक में हमने न केवल सहकारिता, हिन्दी भाषा और साहित्य से जुड़े विषयों को स्थान दिया है, बल्कि समसामयिक मुद्दों, तकनीकी नवाचारों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकारों को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के बढ़ते प्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिन्दी के प्रति बढ़ती रुचि यह दर्शाती है कि हिन्दी आज केवल अभिव्यक्ति की भाषा नहीं, बल्कि कार्यकुशलता और प्रभावी संप्रेषण का सशक्त माध्यम बन चुकी है। 'प्रबोधन' भी इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है।

प्रबोधन के इस अंक के सफल प्रकाशन हेतु मैं प्रबंधन, संपादक मंडल तथा उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके अमूल्य सहयोग और समर्पित प्रयासों से यह कार्य संभव हो सका। आपके सतत मार्गदर्शन, बहुमूल्य सुझावों और सहयोग के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे।

आइए, हम सभी मिलकर राजभाषा हिन्दी को अपने कार्यों, विचारों और व्यवहार में स्थान देते हुए सहकारिता के मूल्यों के साथ एक सशक्त और समावेशी भारत के निर्माण में सहभागी बनें।

अस्वीकरण : 'प्रबोधन' में प्रकाशित रचनाएं रचनाकारों के व्यक्तिगत भावनाएं एवं विचार हैं। कम्पनी अथवा संपादक मंडल का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाकारों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, यह माना जाता है कि यह उनकी स्वलिखित मौलिक रचनाएं हैं एवं कहीं और प्रकाशित नहीं हुईं हैं। ये रचनाएं किसी अन्य श्रोत से प्राप्त या कॉपी नहीं की गई हैं एवं किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों के लिए सरकार, विभाग, कम्पनी अथवा संपादक मंडल उत्तरदाई नहीं है। निः शुल्क वितरण हेतु।

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास

जोनाली बनर्जी
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

भूमिका : भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में निर्भर करता है। ग्रामीण विकास के बिना भारत की समग्र प्रगति संभव नहीं है। सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से कृषि आधारित सहकारिताएँ, ग्रामीण जीवन और कृषि उत्पादकता के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। इन्होंने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सहकारी समितियों का परिचय : सहकारी समिति वह संगठन है जिसे समान हित या लक्ष्य रखने वाले लोग मिलकर बनाते हैं। इसमें सदस्य स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं और हर सदस्य को एक मत का अधिकार प्राप्त होता है। यह संस्थाएँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलती हैं और किसानों, मजदूरों, दस्तकारों व महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक हैं।

कृषि में सहकारिता की भूमिका :

1. कृषि उत्पादन सहकारी समितियाँ :

- किसान थोक में बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदते हैं।
- उन्नत खेती, संयुक्त खेती व तकनीकी नवाचार संभव होते हैं।
- समितियाँ उपज का बाज़ार से सीधा संबंध स्थापित कराती हैं।

2. विपणन सहकारी समितियाँ :

- किसान सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचते हैं, बिचौलियों की भूमिका कम होती है।
- विशिष्ट विपणन समितियाँ फल, सब्ज़ी, अनाज आदि के लिए कार्य करती हैं।
- अमूल व महाराष्ट्र की चीनी मिलें प्रमुख उदाहरण हैं।

3. दुग्ध सहकारी समितियाँ :

- अमूल मॉडल पर आधारित सहकारी संस्थाएँ लाखों छोटे किसानों को संगठित करती हैं।
- दूध संग्रहण, प्रोसेसिंग और विपणन की समुचित व्यवस्था करती हैं।
- विशेष रूप से महिलाओं को रोज़गार व आय का स्रोत मिलता है।

4. कृषि ऋण सहकारी संस्थाएँ :

- किसानों को बीज, यंत्र, सिंचाई आदि के लिए सरल ऋण उपलब्ध कराती हैं।
- इससे सूदखोरों की निर्भरता कम होती है और आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है।
- ये संस्थाएँ किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद करती हैं, चाहे वह फसल के विपणन से हो या आवश्यक आदानों की आपूर्ति से।

ग्रामीण विकास में सहकारिताओं का योगदान :

1. स्वरोज़गार और आय वृद्धि :

- किसानों, महिला समूहों, दस्तकारों के लिए स्वरोज़गार के अवसर।
- सूक्ष्म उद्योग, डेयरी, कुटीर उद्योग के माध्यम से आयवृद्धि।

2. सामाजिक समावेशन :

- महिलाएँ, अनुसूचित जाति/जनजाति जैसे हाशिए पर खड़े समूहों को भी बराबर हिस्सा मिलता है।
- सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता और स्थानीय नेतृत्व विकसित होता है।

3. आधारभूत संरचना निर्माण : आधारभूत संरचना निर्माण में किसी समाज या अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करना शामिल है

- ग्रामीण सड़क, गोदाम, सिंचाई, विद्युत जैसी सुविधाओं का निर्माण। जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती हैं इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की परियोजनाएँ आती हैं
- शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, डेटा सेंटर और शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

4. वित्तीय समावेशन : समाज के हर व्यक्ति और व्यवसाय को किफ़ायती वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच प्रदान करना

- सहकारी बैंक व क्रेडिट समितियों ने बैंकिंग को गाँवों तक पहुँचाया।
- NABARD व सरकारी योजनाओं से ऋण की पहुँच बढ़ी।

इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय रूप से वंचित समूहों को मुख्यधारा के बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है, जिससे आर्थिक भागीदारी बढ़े और समाज में आर्थिक असमानता कम हो।

प्रमुख उपलब्धियाँ और प्रेरक उदाहरण :

- अमूल मॉडल: भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया।
- महाराष्ट्र की चीनी मिलें: क्षेत्रीय विकास व राजनीति में भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण।
- ऋण सहकारी संस्थाएँ: किसानों को सूदखोरों से मुक्ति दिलाई।

सहकारी आंदोलन की चुनौतियाँ :

- प्रबंधन व नवाचार की कमी।
- सरकारी हस्तक्षेप व पुराने कानून।
- प्रशिक्षण और प्रोफेशनलिज़्म की कमी।
- राजनीतिक दुरुपयोग की प्रवृत्ति।। ।
- भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ।
- अशिक्षा और जागरूकता का अभाव।

इन चुनौतियों के बावजूद, सहकारी आंदोलन का उद्देश्य समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में योगदान देना है

निष्कर्ष : सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास भारतीय सामाजिक-आर्थिक बदलाव की धुरी है। यह गरीबी, बेरोजगारी और शोषण को घटाकर समान अवसर, साझेदारी, और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देता है। "सहकार से समृद्धि" की भावना के साथ, यह आंदोलन हर ग्रामीण नागरिक की गरिमामय भागीदारी सुनिश्चित करता है।

कुंभ में सहकारिता

पम्पा हलदर
सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

कुंभ मेला (विशेष रूप से महा-कुंभ) न केवल धार्मिक आस्था का महोत्सव है, बल्कि मानव-संगठन, सामाजिक सेवा और साझा प्रयत्नों का अद्भुत उदाहरण भी है। असाधारण भीड़, जटिल व्यवस्थाएँ और विविध अस्तित्वों का समागम - इसे सफल बनाने में सहकारिता की भूमिका अनिवार्य होती है। इस आलेख में हम देखेंगे कि कैसे कुंभ में विविध लोक - प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था, साधु-संत, आम श्रद्धालु आदि - मिलकर इसे 'सजीव पर्व' बनाते हैं।

सहकारिता के विविध आयाम

1. प्रशासनिक और सरकारी समन्वय

- कुंभ की तैयारी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन सभी मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण स्वरूप, महा कुंभ 2025 की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर आयोजन चलाने का निर्णय लिया।
- इस तरह का साझा धर्म आयोजन का स्वरूप बेहतर बनाता है, जहां संसाधन-बाँटना, उत्तरदायित्व तय करना और भूमिकाएँ स्पष्ट करना आसान हो जाता है।
- कुंभ आयोजन स्थल अधिकतम 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत किया गया और अस्थायी नगर का निर्माण किया गया जो बड़ी सहकारिता की मांग करता है।
- भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, स्वच्छता - सभी विभागों को एक-दूसरे से तालमेल बनाते हुए काम करना पड़ता है। इस साझा प्रयास से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

2. इन्फ्रास्ट्रक्चर और त्वरित निर्माण

- कुंभ में सड़कें, मंच, पन्टून पुल, टेंट व कॉलोनियाँ, बिजली एवं जल आपूर्ति - ये सब सुविधाएँ बहुत जल्दी और अस्थायी रूप से बनानी होती हैं। इन सुविधाओं को तात्कालिक निर्माण और संचालन हेतु विभिन्न विभाग, निजी ठेकेदार एवं समुदायिक श्रमिक मिलकर काम करते हैं।
- उदाहरण स्वरूप, 2013 के कुंभ में 18 पन्टून पुल बनाए गए और करीब 156 किमी स्टील प्लेट्स से मार्ग बनाकर गाड़ियों व पैदल यात्रियों के लिए रास्ते तैयार किए गए थे।
- इसके अलावा, आयोजन के बाद उन सभी संसाधनों को पृथक करना और पुनः उपयोग योग्य बनाना भी एक चुनौती है - ये अगली बार या अन्य सामाजिक उपयोगों में ले जाया जा सके।

3. स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी

- स्वच्छता अभियान, भोजन वितरण, प्राथमिक चिकित्सा, लापता यात्रियों की सहायता, जन-जानकारी शिविर - इन कार्यों में अनेक नागर नागरिक, सामाजिक संगठनों और एन.जी.ओ में लगे लोग भूमिका निभाते हैं।
- ये कार्य स्वयं सेवा की भावना से किए जाते हैं, और उन्हें कुंभ जैसी विशाल घटना में सुचारुता एवं मानवीयता की संजीवनी देते हैं।
- उदाहरण स्वरूप, स्वास्थ्य टीमें, आपातकालीन चिकित्सा शिविर और राहत केंद्र अक्सर सामाजिक

संस्थाओं और सरकारी विभागों द्वारा मिलकर संचालित किए जाते हैं।

4. साधु-संतों एवं अखाड़ों की सहकारिता

- विभिन्न अखाड़े और साधु समूह कुंभ में पधारते हैं और अपने-अपने अनुयायों के साथ आते हैं। बड़े आयोजनों (जैसे पेशवाई) में वे सामूहिक रूप से शामिल होते हैं, जिसमें सहयोग और व्यवस्था होती है।
- साधु-संतों का आपसी एकता और आस्था-भाव एक सहकारिता का आध्यात्मिक स्वरूप प्रस्तुत करती है - वे अपने अनुयायों के मार्गदर्शन, आश्रय व्यवस्था, पूजा कार्यक्रम आदि साझा ढंग से संचालित करते हैं।
- एक ही स्थल पर विभिन्न पंथ, मत और साधना विधियाँ साथ-साथ देखने को मिलती हैं - यह विविधता-में-एकता का प्रमाण है।

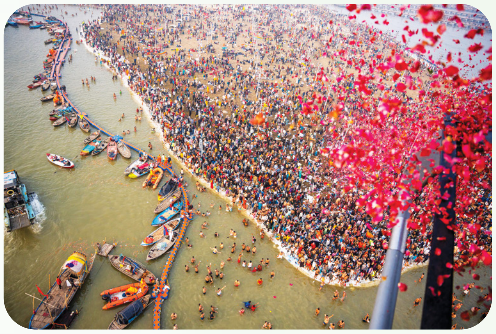

5. पर्यावरण, स्वच्छता और सततता

- कूड़ा-प्रबंधन, निस्तारण, गुलाबों और फूलों की व्यवस्था, जल-संकलन, नदी-प्रदूषण नियंत्रण - ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कुंभ में सहकारिता अनिवार्य है।
- सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मियों, नगर निगम, स्वयंसेवक और स्थानीय लोगों के साझा प्रयास से निभाई जाती है।
- आयोजन के बाद साइट रिकवरी, अवशेषों का निपटान और पुनरुद्धार - ये सभी दीर्घकालीन सहयोग का हिस्सा हैं।
- कुंभ के बाद अस्थायी संरचनाओं को हटाना और भूमि को पुनर्स्थापित करना भी एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिससे नदी तट और आसपास की जमीन को क्षति न हो।

दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण सबक

1. ‘अस्थायी नगर’ के रूप में कुंभ

कुंभ के आयोजन स्थल को एक पूर्ण नगर की तरह विकसित करना - जहाँ आवास, यातायात, बिजली, स्वच्छता आदि सभी सुविधाएँ हों - यह एक “पॉप-अप सिटी” जैसा मॉडल बन जाता है। इस मॉडल में दक्षता और सामूहिक प्रयासों की ऊँची माँग होती है।

2. डिजिटल व तकनीकी सहकारिता

आज अधिकाधिक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी (जैसे मोबाइल ऐप्स, जीआईएस मैपिंग, भीड़ निगरानी कैमरे) का उपयोग हो रहा है। इन तकनीकों के सफल उपयोग में सरकारी विभाग, टेक कंपनियों और स्थानीय लोग मिलकर काम करते हैं।

उदाहरण स्वरूप, 2025 के महा कुंभ में भीड़ एवं सुरक्षा निगरानी में आधुनिक तकनीकों का उपयोग हुआ।

3. आर्थिक एवं सामाजिक समावेशन

कुंभ के दौरान स्थानीय व्यापारियों, हस्तशिल्पियों, छोटे दुकानदारों को सहयोग मिलता है - वे भी आयोजन के एक सहायक घटक बन जाते हैं। इस तरह, आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी बनता है।

4. विश्व मानवता-माडल

बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ शांतिपूर्वक, संरचित और सामंजस्यपूर्ण रूप से एकत्र करना विश्व के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है। कुंभ की व्यवस्थाएँ अन्य बड़े जनसमूह आयोजनों, आपदा राहत शिविरों आदि में प्रयोग की जा सकती हैं।

निष्कर्ष

कुंभ में सहकारिता केवल एक औपचारिक आवश्यकता नहीं, बल्कि उसका आधार है। यह वह धागा है जो सभी भागीदारों को जोड़ता है - प्रशासन, समाज, साधु-संघ, जन और तकनीकी क्षेत्रों को। जब सब मिलकर - अपनी-अपनी भूमिका और क्षमता के अनुसार - योगदान देते हैं, तभी यह विशाल आयोजन सफल एवं यादगार बन पाता है।

सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख सेवाएँ: सहकार से समृद्धि की ओर

संघमित्रा मित्रा
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

भारत में सहकारिता केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सामूहिक प्रगति और सहभागिता का मूल आधार है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति को गति देता है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंजीकरण प्रक्रियाएँ और डिजिटल पहलें आज के दौर में सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और सशक्त बना रही हैं।

1. विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण एवं वित्तीय सहायता

सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी समितियों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य किसानों, महिला समूहों, लघु उद्यमियों, कारीगरों, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े समूहों को आर्थिक आधार प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से कृषि विपणन, भंडारण, प्रसंस्करण इकाइयों, डेयरी संयंत्र, मत्स्य परियोजनाओं तथा ग्रामीण उद्योगों हेतु दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इन योजनाओं से-

- ग्रामीण विकास को गति मिलती है,
- रोजगार के अवसर बढ़ते हैं,
- सहकारी संस्थाओं की आत्मनिर्भरता को बल मिलता है।

यह वित्तीय सहयोग केवल ऋण तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें तकनीकी सहायता और प्रबंधन संबंधी सहयोग भी शामिल है, जिससे सहकारी संस्थाएँ अधिक सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनती हैं।

2. सहकारी प्रशिक्षण : क्षमता एवं नेतृत्व विकास की पहल

एक सशक्त सहकारी आंदोलन के लिए प्रशिक्षित और दक्ष प्रबंधकीय व्यवस्था अनिवार्य है। इसी महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सहकारिता मंत्रालय ने देशभर में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए हैं।

2.1 एनसीयूआई (NCUI) शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) सहकारी शिक्षा का सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच है। इसके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में-

- सहकारी सिद्धांत,
- प्रबंधन कला,
- लेखांकन,
- डिजिटलीकरण,
- मानव संसाधन विकास

जैसे विषयों पर व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों व सदस्यों में तकनीकी दक्षता और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।

2.2 एनसीसीटी (NCCT) प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद सहकारी ढाँचे को मजबूत करने के विषय में अग्रणी भूमिका निभाती है।

देशभर में इसके संस्थान सहकारी सचिव, लेखाकार, प्रबंधक, मैनेजमेंट स्टाफ तथा कार्मिकों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

एनसीसीटी द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल आधुनिक तकनीकों, ई-गवर्नेंस, सहकारी लेखांकन, कृषि प्रबंधन एवं विपणन जैसे विषयों को शामिल करते हैं, जिससे सहकारी संस्थाओं का संचालन अधिक पारदर्शी एवं कार्यकुशल बनता है।

2.3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशिक्षण केंद्र (ICTC)

भारत वैश्विक सहकारिता मंच पर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशिक्षण केंद्र विदेशी देशों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान कर ज्ञान-साझेदारी, तकनीकी आदान-प्रदान एवं वैश्विक अनुभवों का अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है।

इस पहल ने भारत की छवि को वैश्विक सहकारिता जगत में और अधिक मजबूती प्रदान की है।

3. नई बहु-राज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण : पारदर्शिता एवं तीव्रता की दिशा में कदम

बहु-राज्य सहकारी समितियों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र दो या अधिक राज्यों में विस्तृत होता है। इन्हें बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है।

सहकारिता मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को अधिक सरल, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने हेतु डिजिटल पंजीकरण प्रणाली लागू की है।

इसके लाभ-

- ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड की सुविधा,
- त्वरित सत्यापन,
- प्रक्रिया में पारदर्शिता,
- समितियों के लिए अधिकारों व दायित्वों की स्पष्ट जानकारी।

आज कृषि, डेयरी, बैंकिंग, मत्स्य पालन, उपभोक्ता व्यापार और औद्योगिक समितियाँ बहु-राज्य स्वरूप में तेजी से उभर रही हैं और लाखों परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ बना रही हैं।

4. राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेस : एकीकृत, विश्वसनीय एवं आधुनिक सूचना प्रणाली

सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था-प्रामाणिक एवं अद्यतन डेटा का अभाव। इस चुनौती को समाप्त करने हेतु सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटा बेस विकसित किया है, जो देशभर की सहकारी समितियों की वास्तविक स्थिति का डिजिटल और विस्तृत दस्तावेज है।

इस डेटा बेस में शामिल हैं-

- समितियों की संख्या एवं प्रकार
- सदस्य संख्या
- वित्तीय स्थिति
- गतिविधियों का विवरण
- संचालन क्षेत्र
- संसाधन एवं बुनियादी ढाँचा

यह डेटा बेस-

- नीति निर्माण,
- योजनाओं की समीक्षा,
- सहायता वितरण,
- और सहकारी क्षेत्र के मूल्यांकन

में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस कदम से पारदर्शिता में वृद्धि हुई है तथा सहकारी क्षेत्र सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित ये सेवाएँ "सहकार से समृद्धि" के राष्ट्रीय संकल्प को रूप देती हैं। वित्तीय सहायता से लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, बहु-राज्य समितियों के सुदृढ़ीकरण से लेकर राष्ट्रीय डेटा बेस-इन सभी पहलों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और सक्षम बनाना है।

सहकारिता का मूल मंत्र है-साझा प्रयास, साझा विकास।

इसी भावना के साथ सहकारिता मंत्रालय की पहलें आने वाले समय में भारत की आर्थिक-सामाजिक संरचना को और अधिक मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

सहयोग की एक नदी : प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025

तीर्थ रे
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

प्रयागराज में पवित्र संगम के तट पर, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती अभिसरण करते हैं, महाकुंभ मेला 2025 सहयोग का एक जीवित टेपेस्ट्री बन गया। हर 144 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाने पर, इस ज्योतिषीय अभिसरण ने 250 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों, संतों और साधकों को आकर्षित किया - और यह सहकारी भावना में एक मास्टरक्लास के रूप में सामने आया। उच्च-स्तरीय योजना कक्षों से लेकर विनम्र सामुदायिक रसोई तक, हर हाथ और हर दिल ने चुनौतियों को सामूहिक जीत में बदलने के लिए मिलकर काम किया।

नागरिक कैनवस : सह-रचनात्मक साझेदारी के रूप में शासन

पहले शाही स्नान से बहुत पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए एक सहकारी परिषद बुलाई - एक क्रॉस-डिपार्टमेंटल, मल्टी-स्टेकहोल्डर फोरम जहां शहरी योजनाकारों, स्वास्थ्य अधिकारियों, परिवहन अधिकारियों, आपदा-प्रतिक्रिया टीमों, अखाड़ा प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के नेताओं और पड़ोस संघों ने हर निर्णय को एक साथ आकार दिया।

- सड़कों, जल पाइपलाइनों और स्वच्छता क्षेत्रों को सह-डिजाइन करने के लिए एक अंतर-एजेंसी टीम द्वारा जीआईएस मैपिंग और ड्रोन सर्वेक्षण तैनात किए गए थे।
- डिजिटल डैशबोर्ड- आईटी विशेषज्ञों और स्वयंसेवक डेटा विश्लेषकों द्वारा संयुक्त रूप से बनाए रखा गया भीड़ घनत्व और स्वच्छता स्तरों पर साझा स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान की।
- सरकारी तकनीकी प्रकोष्ठों और छात्र स्वयंसेवकों द्वारा सह-विकसित कुंभ हेल्पडेस्क ऐप ने रियल टाइम अलर्ट, वेफाइंडिंग और बहुभाषी समर्थन दिया।

यह शासन पदानुक्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में था - जहां प्रत्येक आवाज की भूमिका थी और प्रत्येक एजेंसी भागीदार बन गई।

अखाड़े और अधिकार: सहयोग में जाली अनुष्ठान

सदियों पुराने अखाड़ों ने केवल भाग नहीं लिया - उन्होंने मेले के आध्यात्मिक और नागरिक व्यवस्था को सह-संचालित

किया। अखाड़ा आचार्यों और नागरिक मजिस्ट्रेटों की संयुक्त योजना समितियों की बैठक साप्ताहिक रूप से हुई:

- आम सहमति आधारित मानचित्रण के माध्यम से 100 से अधिक मठवासी शिविरों के लिए स्थान आवंटित करें।
- निर्बाध तीर्थयात्रा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यातायात और परिवहन अधिकारियों के साथ जुलूस के समय का समन्वय करें।
- मेगाफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन, स्वच्छता और भीड़ शिष्टाचार के साझा संदेशों का प्रसारण।

इस पवित्र साझेदारी ने संभावित घर्षण को निर्बाध समन्वय में बदल दिया, क्योंकि आध्यात्मिक नेताओं ने नागरिक सलाह को बढ़ाया और अधिकारियों ने पारंपरिक प्रोटोकॉल का सम्मान किया।

स्वयंसेवक : कार्रवाई में समन्वित करुणा

पहचान योग्य वर्दी और ज़ोन-विशिष्ट टीमों में हजारों स्वयंसेवकों ने मेला की सहकारी रीढ़ बनाई। औपचारिक प्रणालियों के साथ उनका एकीकरण सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था:

- प्रत्येक स्वयंसेवक टीम ने बचाव और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा के लिए स्थानीय पुलिस चौकियों और चिकित्सा चौकियों के साथ एक "बडी सिस्टम" अपनाया।
- समन्वय केंद्रों ने नवागंतुकों के साथ अनुभवी स्वयंसेवकों को जोड़ा है, जो सेवा मानकों में ज्ञान हस्तांतरण और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
- एनजीओ समन्वयकों और नागरिक अधिकारियों द्वारा सह-मेजबानी की गई दैनिक ब्रीफिंग ने प्रत्येक स्वयंसेवक को सुरक्षा अलर्ट और भीड़ आंदोलनों पर अपडेट रखा।

इस साझा ढांचे में, स्वयंसेवकों ने केवल सहायता नहीं की - वे इतिहास की सबसे बड़ी सभाओं में से एक के प्रबंधन में परिचालन भागीदार बन गए।

स्वच्छता और स्थिरता: स्वच्छता के लिए साझा जिम्मेदारी

इस पैमाने पर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सहकारी पहलों के एक मोज़ेक की आवश्यकता थी:

- स्वच्छता कार्यकर्ता, नगरपालिका अभियंता और एनजीओ टीमों ने संयुक्त "क्लीन कुंभ" अभियान चलाया, जिसमें समुदाय के नेतृत्व वाले क्लीनअप दस्तों के साथ मशीनीकृत स्ट्रीट स्वीपर शामिल थे।
- तीर्थयात्रियों ने युवा समूहों और मंदिर समितियों द्वारा आयोजित ""साफ-प्रतिज्ञा"" अभियान के माध्यम से नामित शौचालयों और कचरे के डिब्बे का उपयोग करने का वचन दिया।"
- विक्रेताओं, पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से, अपशिष्ट पृथक्करण पर बायोडिग्रेडेबल बर्तन और सह-होस्ट कार्यशालाएं वितरित कीं।

स्वच्छता के इस सामूहिक स्वामित्व ने न केवल अपशिष्ट की मात्रा को कम किया, बल्कि पवित्र नदियों के संरक्षण में साझा गर्व की भावना को भी बढ़ावा दिया।

एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा : सामूहिक सतर्कता

तीर्थयात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना विश्वास और टीम वर्क की एक सहकारी कोरियोग्राफी थी:

- स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ क्राउड-मैनेजमेंट विशेषज्ञों द्वारा वन-वे कॉरिडोर और होल्डिंग जोन की योजना बनाई गई थी, फिर पुलिस और नागरिक स्वयंसेवकों के संयुक्त गश्ती दल के माध्यम से संचालित किया गया था।
- चिकित्सा दल, आपदा-प्रतिक्रिया इकाइयां, और स्वयंसेवी पहले-उत्तरदाता एकीकृत कमाँड पोस्ट से संचालित होते थे, जिससे तत्काल सूचना-साझाकरण सक्षम होता था।
- लोक कलाकारों, शास्त्रीय नर्तकियों और कहानीकारों ने अस्थायी एम्फीथिएटर में 500 से अधिक प्रदर्शन करने के लिए नागरिक कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ साझेदारी की।
- सामुदायिक रसोई ने स्थानीय घरों, लंगर स्वयंसेवकों और नगरपालिका खाद्य निरीक्षकों से लाखों लोगों को स्वच्छ रूप से खिलाने के लिए संसाधनों को संयुक्त किया।
- दूर के क्षेत्रों के कारीगरों ने उचित मूल्य निर्धारण और भीड़ प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय व्यापारियों के साथ काम करते हुए शिल्प बाजार का सह-आयोजन किया।

यह सांस्कृतिक मोज़ेक एक सहकारी कैनवास था - जहां हर प्रदर्शन, हर भोजन, हर बाज़ार संयुक्त प्रयास की शक्ति को दर्शाता था।

दुनिया के लिए सबक: सहकारी अनिवार्यता

शांत सोच और संस्थागत अविश्वास के युग में, महाकुंभ मेला 2025 ने एक सरल सत्य दिया: सहयोग सफलता का आधार है। इस भव्य सभा ने प्रदर्शित किया कि:

- साझा शासन सामूहिक बुद्धिमत्ता को किसी भी एक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धि से कहीं अधिक उजागर करता है।
- आधुनिक प्रणालियों के साथ परंपरा को एकीकृत करना संवाद की माँग करता है - और लचीला समाधान प्रदान करता है।
- जब नागरिक, नागरिक समाज और राज्य एजेंसियां इस प्रक्रिया का सह-स्वामित्व करती हैं, तो अनुपालन प्रतिबद्धता बन जाता है।

निष्कर्ष : साझा उद्देश्य की स्थायी विरासत

जैसे ही अंतिम तीर्थयात्री 26 फरवरी, 2025 को रवाना हुए, और संगम ने अपना शांत प्रवाह फिर से शुरू किया, महाकुंभ मेले की सहकारी वास्तुकला इसकी सबसे स्थायी विरासत के रूप में बनी रही। प्रयागराज में, विश्वास ने अनुष्ठान में लाखों लोगों को एकजुट करने से अधिक किया - इसने सहयोग की एक टेपेस्ट्री बुनी जिसने नागरिक विश्वास को फिर से जगाया और साबित किया कि जब हम एक साथ आते हैं, तो चमत्कार नियमित हो जाते हैं।

ग्रामीण विकास से राष्ट्र निर्माण तक : सहकारिता का सफ़र

रवि मेहता
वरिष्ठ प्रबंधक

सहकारिता का अर्थ है समस्याओं के समाधान और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोगों का एकजुट होना। भारत में, इस विचार की शुरुआत सबसे पहले गाँवों में हुई, जहाँ किसानों को गरीबी, कर्ज और संसाधनों की कमी जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साहूकार ज़्यादा ब्याज वसूल रहे थे, खेती के सामान महंगे थे, और बाज़ार में किसानों की पकड़ बहुत कम या बिल्कुल नहीं थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए, ग्रामीणों ने सहकारी समितियाँ बनाना शुरू किया। ये समूह धन इकट्ठा करके उचित ब्याज पर ऋण देते थे और किसानों को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इससे साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम हुई, खेती में सुधार हुआ और लोगों में विश्वास बढ़ा। ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता के इस्तेमाल की दिशा में यह पहला कदम था।

इसके बाद, सहकारिता आंदोलन ने भारत को कई सफलता की कहानियाँ दीं। आज तक सबसे प्रसिद्ध गुजरात की डेयरी सहकारी संस्था अमूल है। छोटे दूध उत्पादकों का हाथ थामकर, अमूल ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें उनके दूध का उचित मूल्य मिले। समय के साथ, यह दुनिया भर में एक प्रसिद्ध ब्रांड बन गया और भारत को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। महाराष्ट्र में, चीनी सहकारी समितियों ने भी यही किया और ग्रामीण प्रगति का प्रतीक बन गईं। पहले, किसान अपना गन्ना निजी मिलों को कम दामों पर बेचते थे और मुनाफे पर उनका नियंत्रण बहुत कम होता था। जब उन्होंने मिलकर अपनी चीनी मिलें बनाईं, तो उन्हें न केवल बेहतर आय हुई, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा हुए। इन सहकारी समितियों के मुनाफे का इस्तेमाल अक्सर उनके गाँवों में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के सुधार के लिए किया जाता था। इससे पता चलता है कि सहकारिता ग्रामीण समाज की सूरत कैसे बदल सकती है। केरल में, मछुआरों को एक अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। बिचौलिए उनकी पकड़ सस्ते में खरीद लेते थे और उसे ऊँचे दामों पर बेच देते थे, जिससे मछुआरे गरीब हो जाते थे। मत्स्य सहकारी समितियों ने उन्हें संसाधन जुटाने, बेहतर जाल और नावें खरीदने, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करने और अपनी मछलियाँ सीधे बड़े बाज़ारों में बेचने में

मदद की। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के लिए भी सहायता मिली। भारत के कई हिस्सों में, महिलाएँ भी स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई हैं, जो छोटी सहकारी समितियों की तरह काम करते हैं। इन समूहों ने महिलाओं को ऋण, आत्मविश्वास और आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उन्हें अपने परिवारों का भरण-पोषण करने और समाज में एक बड़ी भूमिका निभाने में मदद मिली है।

इन स्थानीय शुरुआतों से, सहकारी समितियाँ बैंकिंग, आवास, उपभोक्ता वस्तुओं, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि शिक्षा जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी फैल गईं। आज, वे देश भर में करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सहकारिता न केवल व्यवसाय संचालित करती है, बल्कि लोगों को समानता और भागीदारी का एहसास भी दिलाती है। प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त हैं, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करता है। वे अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करते हैं, यह सुनिश्चित करके कि छोटे किसान, मछुआरे, मजदूर और महिलाएँ भी विकास के लाभ उठा सकें। इस प्रकार, सहकारिता केवल ग्रामीण विकास से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण की एक शक्ति बन गई है।

सरकार ने भी इनके महत्व को पहचाना है। 2021 में, इस क्षेत्र को नई ताकत देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना, जिसका अर्थ है सहयोग के माध्यम से समृद्धि, यह दर्शाती है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहकारी संस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बाज़ार और आधुनिक प्रणालियों के साथ, सहकारी समितियाँ व्यापक दर्शकों तक पहुँच सकती हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

सहकारिता की कहानी जनशक्ति की कहानी है। इसकी शुरुआत किसानों और ग्रामीणों के गरीबी से लड़ने के लिए एकजुट होने से हुई। यह एक ऐसे आंदोलन के रूप में विकसित हुआ जिसने देश को अमूल जैसे विश्वस्तरीय संस्थान दिए, महाराष्ट्र के चीनी क्षेत्र जैसी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत किया और केरल में मछुआरा समुदायों का समर्थन किया। इसने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता दिलाई। आज, यह राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। ग्रामीण विकास से लेकर राष्ट्र निर्माण तक, सहकारी आंदोलन यह साबित करता है कि एकता और टीम वर्क ही प्रगति की असली कुंजी हैं।

जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है:

"सहकारिता केवल एक प्रणाली नहीं है, यह एक संस्कृति और जीवन शैली है।"

“सहकारिता: आत्मनिर्भरता की नींव”

अमिताभ भारद्वाज
उप प्रबंधक

सहकारिता का मूल भाव है– मिलकर, आपसी सहयोग और विश्वास से किसी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति करना। अकेले प्रयास सीमित परिणाम दे सकते हैं, लेकिन जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है, तो सामूहिक शक्ति से कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। यही सहकारिता का सार है और यही आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है।

सहकारिता का महत्व : सहकारिता समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल और कमजोर तबकों के लिए वरदान साबित हुई है। आज़ाद भारत में सहकारिता आंदोलन ने किसानों, शिल्पकारों, मजदूरों और महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मज़बूत किया। कृषि, दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण बैंकिंग, हस्तशिल्प और लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में इसका योगदान अद्वितीय है।

आत्मनिर्भरता का अर्थ : आत्मनिर्भरता का मतलब है– अपनी जरूरतों और विकास के लिए स्वयं सक्षम बनना, परनिर्भर न रहना। यह केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक और राष्ट्रीय विकास के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। जब प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनता है, तभी एक सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण संभव होता है।

सहकारिता और आत्मनिर्भरता का संबंध : सहकारिता आत्मनिर्भरता की राह को सरल और प्रभावी बनाती है। यह मंच उपलब्ध कराती है, जहां संसाधनों के मेल और आपसी सहयोग से छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। अमूल जैसी सहकारी संस्था इसका साक्षात उदाहरण है जिसने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह और श्रमिक सहकारी संस्थाएं भी लाखों लोगों के लिए आत्मसम्मान और स्वरोजगार का आधार बनी हैं।

अर्थव्यवस्था में योगदान : भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी बैंक किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराते हैं, बीज और उर्वरक आसानी से उपलब्ध होते हैं और सहकारी विपणन समितियां सुनिश्चित करती हैं कि उत्पादकों को उचित दाम मिले। इससे किसानों की निर्भरता बिचौलियों पर कम होती है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं।

महिला सशक्तिकरण और सहकारिता : महिलाओं के लिए सहकारिता सशक्तिकरण का साधन बनी है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पाक कला और छोटे उद्योग अपनाकर न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं, बल्कि समाज में गरिमा और सम्मान भी प्राप्त किया है।

निष्कर्ष : सहकारिता भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो आत्मनिर्भरता को जीवन्त स्वरूप देती है। इसके माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम कर एक समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ समाज का निर्माण संभव है। यही कारण है कि सहकारिता को आत्मनिर्भर भारत की सशक्त आधारशिला कहा जाता है।

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास

अरविंद कुमार चौधरी
सहायक महाप्रबंधक

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास, सदस्यों के स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित संगठनों से मिलकर बना है जो कृषि गतिविधियों के लिए संसाधनों का संयोजन करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है। यह किसानों और ग्रामीण समुदायों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है ताकि उनकी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय भलाई में सुधार हो सके।

सहकारी समितियां कृषि को समर्थन देती हैं और ग्रामीण विकास विभिन्न कारकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसा कि उल्लेख किया गया है।

कृषि सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिकाएँ

वित्तीय सेवाएँ :

- ऋण सहकारी समितियाँ किसानों को किफायती ऋण उपलब्ध कराती हैं और उन्हें उच्च ब्याज दर वाले ऋणदाताओं से बचाती हैं।
- राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसे बैंक कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाई, अन्य कृषि आवश्यकताओं, आदि के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं।
- सहकारिता मंत्रालय जैसी सरकारी पहल, प्रत्येक गाँव की सेवा के लिए ऋण, डेयरी और मत्स्य पालन हेतु नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा देती हैं।

आपूर्ति श्रृंखला एवं विपणन :

- बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण जैसे कृषि आदानों की थोक खरीद से व्यक्तिगत किसानों की लागत कम होती है और उच्च गुणवत्ता वाली आपूर्ति तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होती है।
- सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिक विपणन, बिचौलियों के विरुद्ध किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाकर उन्हें उचित और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी उपज बेचने में मदद करता है।
- प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन गतिविधियाँ कच्चे उत्पादों को प्रसंस्कृत वस्तुओं में बदल देती हैं, जिससे नए स्थानीय रोजगार सृजित होते हैं और किसानों की आय में वृद्धि होती है।

बुनियादी ढाँचे का विकास एवं प्रशिक्षण :

- साझा संसाधनों से छोटे किसानों को ट्रैक्टर और पावर टिलर जैसी महंगी मशीनें मिल जाती हैं, जिन्हें वे अकेले नहीं खरीद पाते।
- कुछ सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएँ किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकें अपनाने में मदद करती हैं।
- दक्षता में सुधार और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क जैसे ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में निवेश किया जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था :

- भारत में अमूल मॉडल जैसी डेयरी सहकारी समितियों ने दूध के लिए एक विश्वसनीय बाज़ार उपलब्ध कराकर लाखों डेयरी किसानों को

सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है।

- अन्य सहकारी उद्यम फ़सल की खेती के अलावा पशुपालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मुर्गीपालन विकास, आदि जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों को भी समर्थन प्रदान करते हैं।

कृषि सहकारी समितियों के लिए चुनौतियाँ

- **प्रबंधन संबंधी समस्याएँ :** कई सहकारी समितियों को खराब प्रबंधन और कुशल कर्मियों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप :** अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप सहकारी समितियों के स्वतंत्र और प्रभावी संचालन में बाधा बन सकता है।
- **सीमित संसाधन :** विस्तार के लिए पर्याप्त पूँजी और धन की उपलब्धता अक्सर ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए बाधा होती है।
- **डिजिटल विभाजन :** इन चुनौतियों के जवाब में सरकारों ने ग्रामीण विकास बैंकों के संचालन दक्षता को बेहतर बनाने और उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने के लिए पहल शुरू की हैं।

भारत में प्रमुख संस्थाएँ

- **प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ :** किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं।
- **राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :** राज्य स्तर पर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं।
- **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :** एक प्रमुख संस्था जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों को पुनर्वित्त और संस्थागत सहायता प्रदान करती है।
- **सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार :** सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करता है और इसने एक नए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं।

ग्रामीण विकास पर प्रभाव

- **आय में वृद्धि :** ऋण और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करके, सहकारी समितियाँ ग्रामीण परिवारों की आय और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने में मदद करती हैं।
- **सशक्तिकरण और भागीदारी :** सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जिनमें प्रत्येक सदस्य को उसकी शेयरधारिता की परवाह किए बिना एक वोट का अधिकार होता है। इससे ग्रामीण आबादी में सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- **रोज़गार सृजन :** सहकारी समितियों द्वारा संचालित उद्यम जैसे प्रसंस्करण संयंत्र और सूक्ष्म व्यवसाय, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं, जिससे अल्परोज़गार और पलायन की समस्या से निपटने में मदद मिलती है।
- **सामाजिक विकास :** आर्थिक लाभों के अलावा सहकारी समितियाँ ग्रामीण समुदायों में आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देती हैं।

भारत में प्रमुख उदाहरण

- **अमूल :** गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ एक डेयरी सहकारी संस्था का अत्यंत सफल उदाहरण है जिसने लाखों डेयरी किसानों को सशक्त बनाया है और ग्रामीण आय में क्रांति ला दी है।
- **इफको :** भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था किसानों को किफायती उर्वरक और अन्य कृषि सहायता प्रदान करती है जिससे फसल की पैदावार में सुधार होता है।
- **नैफेड :** राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किसानों को उनकी उपज के विपणन में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उचित मूल्य मिले।

इस प्रकार से सहकारी कृषि ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं।

गाँव से शहर तक : सहकारिता आंदोलन की यात्रा

अरुण कुमार
प्रबंधक (यांत्रिक)

भारत के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सहकारिता आंदोलन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी यात्रा गाँव के किसानों की जरूरतों से शुरू होकर शहरी जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं तक पहुँची है, जिसमें लोगों को आत्मनिर्भर ओर सशक्त बनाने का लक्ष्य रहा है।

सहकारिता आंदोलन की नींव 20वीं सदी की शुरुआत में पड़ी थी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को साहूकारों की ऊँची ब्याज दर से मुक्ति दिलाने के लिए 'सहकारी ऋण समिति अधिनियम' 1904 में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को सस्ते ऋण, कृषि उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था, और सामूहिक खरीद के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा देना।

गाँवों में सहकारी समितियाँ कृषि, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, बीज वितरण, खाद्य प्रसंस्करण व विपणन में सक्रिय रहीं हैं। इन समितियों ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और उन्हें बाज़ार तक सीधी पहुँच दी। 'अमूल' जैसी सहकारी दुग्ध समितियाँ भारतीय सहकारिता आंदोलन का गौरवशाली उदाहरण हैं, जिन्होंने गाँव के छोटे दूध उत्पादकों को एकजुट कर उन्हें बेहतर मूल्य दिलाया।

समय के साथ सहकारिता का विस्तार शहरी जीवन में भी हुआ। शहरी सहकारी बैंक, आवास समितियाँ, व श्रमिक सहकारी संगठन गरीब एवं मध्यवर्गीय लोगों को वित्तीय सहायता, सस्ता आवास, रोजगार, और उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध कराते हैं। शहरों में सहकारी आंदोलन ने उपभोक्ता उत्पादों के वितरण, ऋण मुहैया कराने, और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

सहकारी संस्थाओं को भ्रष्टाचार, राजनीति का हस्तक्षेप, प्रबंधन में कमी जैसी चुनौतियाँ भी मिलीं, जिससे इनका विकास बाधित हुआ। फिर भी, इन संस्थाओं ने लाखों लोगां को रोज़गार, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया है।

गाँव से शहर तक सहकारिता आंदोलन की यात्रा भारतीय समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि सामूहिकता, पारदर्शिता और सही नेतृत्व हो, तो सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास सम्भव है। आज भी यह आंदोलन गाँव-शहर के बीच एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है और देश की प्रगति और समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास: समृद्धि का सोपान

विशाल
प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा)

भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी सदियों से कृषि और ग्राम्य जीवन रहा है, और इन्हीं दोनों के समन्वित विकास के लिए सहकारिता का विचार एक सशक्त और दूरदर्शी समाधान बनकर उभरा है। सहकारी कृषि महज खेतों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, अपितु यह एक ऐसा सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना है, जो परस्पर सहयोग, विश्वास और सामूहिक शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। यह छोटे और सीमाँत किसानों को संगठित कर उन्हें वह शक्ति प्रदान करती है, जो वे अकेले रहकर कभी अर्जित नहीं कर सकते। उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला में, सहकारिता किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाती है, उचित मूल्य सुनिश्चित करती है और उन्नत तकनीक तक उनकी पहुँच को सुगम बनाती है। इस प्रकार, सहकारी समितियाँ न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थायित्व और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखती हैं।

यह सहकारिता ही है, जिसने गाँव के सबसे वंचित व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। सहकारी ऋण समितियाँ किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाकर कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को बिना किसी बाधा के जारी रख पाते हैं। इसके अतिरिक्त, दुग्ध, मत्स्य पालन और हस्तशिल्प जैसी विभिन्न क्षेत्रों में गठित सहकारी समितियाँ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करती हैं और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। इससे न केवल पारिवारिक आय में वृद्धि होती है, बल्कि गाँव में सामाजिक समानता और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार आता है। यह एक ऐसा आत्मनिर्भर तंत्र है जहाँ लाभ का वितरण लोकतांत्रिक और न्यायसंगत तरीके से होता है, जिससे सामुदायिक भावना और आपसी सौहार्द में वृद्धि होती है।

सहकारिता केवल एक आर्थिक ढाँचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, जो हमें 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' के शाश्वत सिद्धांत का स्मरण कराता है। यह वह शक्ति है जो गाँव के सबसे छोटे किसान को भी बाज़ार की विशालकाय शक्तियों के समक्ष आत्मनिर्भर खड़ा होने का सामर्थ्य देती है। सहकारी समितियाँ कृषि की चुनौतियों

का समाधान मात्र नहीं करतीं, बल्कि वे ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पहलू में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। ये संस्थाएँ किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने, उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने, तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में मार्गदर्शन करने का कार्य करती हैं। यह सब एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जहाँ प्रत्येक सदस्य की आवाज़ सुनी जाती है और निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। इस प्रकार, सहकारिता ने न केवल आर्थिक विषमताओं को कम किया है, बल्कि इसने ग्रामीण समुदायों में एक नई चेतना और विश्वास का संचार किया है।

दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में 'अमूल' का अभूतपूर्व मॉडल इस बात का सजीव प्रमाण है कि सामूहिक प्रयास किस प्रकार एक क्रांति का सूत्रपात कर सकते हैं। अमूल ने केवल दूध का संग्रहण और विपणन नहीं किया, बल्कि इसने गाँव-गाँव में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (DCS) की त्रि-स्तरीय संरचना (ग्राम, जिला, राज्य) का निर्माण किया। इस विकेन्द्रीकृत मॉडल ने यह सुनिश्चित किया कि लाभ सीधे किसानों तक पहुँचे, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। डॉ. वर्गीज कुरियन के प्रयासों से विकसित इस मॉडल ने लाखों ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया। सुबह और शाम दूध एकत्र करने की प्रक्रिया ने ग्रामीण महिलाओं को एक स्थिर आय का स्रोत प्रदान किया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वे परिवार के निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने लगीं। अमूल ने केवल आर्थिक उत्थान नहीं किया, बल्कि इसने गाँव में एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। इसने पशु चिकित्सा, पशु पोषण और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की, जिससे भारत 'श्वेत क्रांति' के माध्यम से दूध के आयात पर निर्भर राष्ट्र से विश्व के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा। यह मॉडल ग्रामीण जीवन की समग्रता को स्पर्श करता है, जहाँ किसान को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि कंपनी का स्वामी बनाया गया।

वर्तमान परिदृश्य में भी सहकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक है। जहाँ वैश्वीकरण और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों की बढ़ती शक्ति से छोटे किसान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं सहकारी समितियाँ उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं।भारत सरकार ने भी सहकारिता को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण और विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना जैसी पहलें शामिल हैं। ये योजनाएँ पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता ला रही हैं, साथ ही किसानों को गाँव के स्तर पर ही अपनी उपज के भंडारण की सुविधा मिल रही है। इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों, जैसे जलवायु परिवर्तन, बाज़ार की अस्थिरता और डिजिटल विभाजन, का सामना करने में सहकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भविष्य में सहकारी समितियों को अपनी कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लानी होगी और आधुनिक तकनीक, जैसे डिजिटल भुगतान, डेटा विश्लेषण और ई-कॉमर्स, को अपनाना होगा। वे केवल कृषि उत्पादों के विपणन तक सीमित न रहकर, ग्रामीण पर्यटन, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहुँच बढ़ा सकती हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जहाँ ग्रामीण युवाओं को गाँव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः, यह स्पष्ट है कि सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास का विचार केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि भारत की वास्तविक समृद्धि का आधार है। यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब तक गाँव की अर्थव्यवस्था संगठित नहीं होगी, तब तक राष्ट्र की प्रगति अधूरी रहेगी। अमूल जैसी सफलता की गाथाएँ हमें यह सिखाती हैं कि ग्रामीण समुदायों में असीमित क्षमताएँ निहित हैं, जिन्हें केवल सहयोग और सामूहिक प्रयास से ही उजागर किया जा सकता है। यह एक ऐसा मॉडल है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है और उसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक सक्रिय भागीदार बनाता है। सहकारिता का यह सोपान हमें न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें एक समरस, समतामूलक और सशक्त समाज के निर्माण का मार्ग भी दिखाता है।

सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

सौरभ मुस्कान
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा एवं मानव संसाधन)
ब्रिज एंड रुफ कंपनी इंडिया लिमिटेड

मानव समाज का विकास हमेशा से सहयोग और साझेदारी पर आधारित रहा है। 'साझा श्रम और साझा फल" की यही भावना सहकारिता का आधार है। उन्नीसवीं सदी के मध्य यूरोप में सहकारी समितियों का जन्म हुआ, जिसने पूँजीवादी व्यवस्था के मुकाबले एक नया विकल्प प्रस्तुत किया। सहकारिता ने आर्थिक लाभ से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय, समानता और सामूहिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2024 को वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के सामाजिक-आर्थिक योगदान को उजागर करना और 2030 के सतत विकास एजेंडा में उनकी भूमिका को मान्यता देना है। इसी क्रम में 25 नवम्बर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करते हुए सहकारिता को आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से ग्रामीण व बंचित समुदायों के सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बताया।

भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न सदियों से चर्चा का विषय रहा है। महिलाएँ परिवार की आधारशिला होती हैं, किंतु लंबे समय तक उन्हें शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों और निर्णय प्रक्रियाओं से वंचित रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति अभी साधन के रूप में सामने आया भी सुदृढ नहीं हो पाई है। ऐसे समय में सहकारिता आंदोलन महिलाओं के लिए एक सशक्त स है। सहकारिता केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामूहिकता, साझेदारी और आत्मनिर्भरता की भावना को भी जन्म देती है।

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है- महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समान अवसर और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। जब महिलाएँ स्वयं को सक्षम और आत्मनिर्भर महसूस करती हैं, तभी समाज और राष्ट्र का समय विकास संभव होता है। सहकारिता इस दिशा में एक ऐसी संगठित प्रक्रिया है, जिसने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में सम्मानजनक स्थान पाने का अवसर दिया है।

सहकारिता का स्वरूप

सहकारिता का अर्थ है साझा प्रयास। इसमें व्यक्ति, समूह या समाज सामूहिक रूप से मिलकर आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विकास की दिशा में कार्य करता है। सहकारी समितियों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि प्रत्येक सदस्य की जरूरतों को पूरा करना और सामूहिक उत्थान करना होता है।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता आंदोलन का विशेष महत्व है। बैंकिंग, कृषि, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प, बुनाई, लघु उद्योग आदि क्षेत्रों में सहकारी समितियों ने गरीब और बंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाती

है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

1. आर्थिक निर्भरता अधिकांश महिलाएँ आज भी परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती हैं।

2. सामाजिक असमानता दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियों महिलाओं की प्रगति में बाधा हैं।

3. शिक्षा का अभाव ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की दर अभी भी संतोषजनक नहीं है।

4. निर्णय लेने की कमी परिवार और समाज में अधिकांश निर्णय पुरुष ही लेते हैं।

इन परिस्थितियों से उबरने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है, और सहकारिता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सहकारिता और महिला सशक्तिकरण

1. आर्थिक आत्मनिर्भरता

सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाएँ अपनी बचत को एकत्रित करके लघु ऋण प्राप्त करती हैं और छोटे उद्योग, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, मुर्गीपालन आदि कार्यों को शुरू करती हैं। इससे वे अपने परिवार की आय में योगदान देने लगती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं।

- महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़कर उन्हें लघु ऋण और वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
- डेयरी, बुनाई, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प आदि कार्यों में सहकारी समितियों के माध्यम से उन्हें संगठित कर नियमित आय का साधन उपलब्ध कराया जा सकता है।
- उदाहरण: अमूल डेयरी और लिज्जत पापड़

2. नेतृत्व क्षमता का विकास

सहकारी समितियों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। जब महिलाएँ प्रबंध समिति की सदस्य या पदाधिकारी बनती हैं, तो उनमें नेतृत्व गुण, संगठन क्षमता और निर्णय लेने का आत्मविश्वास विकसित होता है।

- समितियों में पदाधिकारी या सदस्य बनकर महिलाएँ संगठन और प्रबंधन की कला सीखती हैं।
- इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।

3. शिक्षा और जागरूकता

सहकारिता से जुड़कर महिलाएँ वितीय साक्षरता, कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व को समझती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें नई तकनीक और प्रबंधन की जानकारी भी आती है।

- सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, कानूनी अधिकारों और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जा सकती है।
- समूहों में जुड़ने से महिलाएँ अनुभव साझा करती हैं और एक-दूसरे से सीखती हैं।

4. सामाजिक सम्मान और भागीदारी

जब महिलाएँ परिवार की आय में योगदान करती हैं, तो उनका सामाजिक सम्मान बढ़ता है। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है।

- सहकारिता के माध्यम से महिलाएँ सामूहिक रूप से कठिनाइयों का सामना कर सकती हैं।
- वे सामाजिक मुद्दों (जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, हिंसा) के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठा सकती हैं।
- आर्थिक योगदान से परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है।

5. सामूहिक शक्ति का विकास

अकेली महिला अक्सर अपने अधिकारों की लड़ाई में कमजोर पड़ जाती है, लेकिन सहकारी समितियों में शामिल होकर वे सामूहिक रूप से अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं। यह सामूहिकता उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा देती है।

6. सरकारी योजनाओं से जुड़ाव

- सहकारिता मंत्रालय और राज्य सरकारें महिला सहकारी समितियों को विशेष प्रोत्साहन दे रही हैं।
- कुदुम्बश्री (केरल) और महिला डेयरी सहकारी समितियाँ इसके सफल उदाहरण हैं।
- यदि ऐसी योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए तो महिलाएँ बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

भारत में महिला सहकारिता के जीवंत उदाहरण

1. अमूल डेयरी

गुजरात ही नहीं, बल्कि देशभर की लाखों ग्रामीण महिलाएँ अमूल की सहकारिता से आत्मनिर्भर बनी हैं। 1946 में गुजरात के आनंद जिले में कुछ किसानों ने मिलकर अमूल डेयरी सहकारिता की नींव रखी। उद्देश्य था-दूध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना और बिचौलियों से मुक्ति दिलाना। धीरे-धीरे यह आंदोलन "श्वेत क्रांति" का आधार बना और भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने में अहम भूमिका निभाई।

अमूल की असली शक्ति लाखों ग्रामीण महिलाएँ हैं।

- वे दुग्ध उत्पादन से लेकर संग्रहण, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।
- गाँव-गाँव में गठित महिला डेयरी समितियाँ उन्हें आर्थिक गतिविधियों और निर्णय प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।
- महिलाएँ केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सहकारी समितियों के प्रबंधन और संचालन में भी सक्रिय भागीदारी निभाती हैं।

2. लिज्जत पापड़

लिज्जत पापड़ की सफलता। यह केवल एक व्यावसायिक उद्यम नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान की प्रतीक गाथा है। 1960 में मुंबई की सात साधारण महिलाओं ने मिलकर घर-घर में बनने वाले पापड़ को सहकारी रूप में बनाने और बेचने की पहल की।

- लिज्जत पापड़ की पहचान ही महिला सहभागिता पर आधारित है।
- इसमें काम करने वाली महिलाएँ न केवल पापड़ बनाती हैं, बल्कि खरीद, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और विपणन सभी गतिविधियों में भाग लेती हैं।
- संस्था के प्रबंधन में भी महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित है, जिससे वे नेतृत्व और निर्णय क्षमता विकसित करती हैं।
- आज लिज्जत पापड़ केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है।
- इस संस्था से जुड़ी हजारों महिलाएँ आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं।
- यह उदाहरण सिद्ध करता है कि सामूहिक प्रयास, अनुशासन और सहकारिता के बल पर महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं।

3. केरल की कुदुम्बश्री योजना

यह विश्व की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं में से एक है। कुदुम्बश्री मिशन वर्तमान में एक सतत मिशन है। मिशन के महिलाओं के त्रि-स्तरीय सामुदायिक नेटवर्क की मुख्य गतिविधि बचत और ऋण है। इसके अलावा, वे स्थानीय स्व-सरकारी संस्थाओं को उनके कार्यक्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और सामान्य आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने में भी मदद करती हैं। इसके तहत महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं।

4. हस्तशिल्प और बुनाई सहकारिताएँ

भारल की संस्कृति और परंपरा में हस्तशिल्प और बुनाई का विशेष स्थान है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह कला पीठी दर पीढ़ी चली आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोतर राज्यों में महिलाएँ हथकरघा, बुनाई, सिलाई-कढ़ाई और हस्तशिल्प के कार्यों में सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़ी हैं।

- हस्तशिल्प और बुनाई का कार्य महिलाओं की आजीविका का एक बड़ा साधन है।
- सहकारी समितियों में संगठित होकर महिलाएँ बुनाई, कढ़ाई, माटी कला, हथकरघा, जूट, बॉस और सिलाई-कढ़ाई जैसे कामों को बड़े पैमाने पर कर रही हैं।
- इन समितियों में महिलाएँ केवल उत्पादक ही नहीं हैं, बल्कि निर्माण, विपणन और प्रबंधन की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

सहकारिता से महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

1. गरीबी उन्मूलन - महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं।
2. स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च - अतिरिक्त आय से वे बच्चों की पढ़ाई और परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान देती हैं।
3. सामाजिक परिवर्तन - महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से दहेज प्रथा, अशिक्षा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों में कमी आई है।
4. राजनीतिक भागीदारी - पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाएँ अब अधिक सक्रिय हो रही हैं।
5. सशक्त पीढ़ी का निर्माण - सशक्त महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है।

प्रमुख मुद्दे

हालांकि सहकारिता ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और जागरूकता की कमी।
2. पितृसत्तात्मक मानसिकता जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है।
3. सहकारी समितियों के संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप।
4. विपणन और तकनीक की जानकारी का अभाव।
5. पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी।

सुधार के उपाय

1. महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम।
2. सरकार द्वारा महिला सहकारी समितियों को वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता।
3. बाजार तक पहुँच और विपणन की बेहतर व्यवस्था।
4. पंचायत स्तर पर महिला सहकारिता समितियों को बढ़ावा।
5. पुरुषों में भी महिला सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।

सहकारिता आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब महिलाएँ संगठित होकर कार्य करती हैं, तो वे असंभव को भी संभव बना सकती हैं। सहकारी समितियाँ महिलाओं के लिए केवल आय का साधन नहीं हैं, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए सहकारिता एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। आज आवश्यकता है कि इस आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाया जाए ताकि हर महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके।

अतः यह कहना उचित होगा कि सहकारिता महिलाओं को केवल आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, नेतृत्व और सामाजिक पहचान भी प्रदान करती है। जब महिलाएँ संगठित होकर कार्य करती हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही शक्ति परिवार को समृद्ध, समाज को प्रगतिशील और राष्ट्र को सशक्त बनाती है।

भारतीय परिपेक्ष्य में हिन्दी भाषा के कार्यान्वयन की पहल

प्रकाश गुप्ता
उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी इंडिया लिमिटेड

भारत बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज है, जहाँ हर राज्य की अपनी विशिष्ट भाषा और सांस्कृतिक पहचान है। यही विविधता हमारी राष्ट्रीय शक्ति भी है और कई बार चुनौतियों का कारण भी। हाल ही में महाराष्ट्र में मराठी भाषा के प्रयोग को लेकर उठी बहस और तमिलनाडु में तमिल भाषा से जुड़ी संवेदनशीलता ने यह प्रश्न एक बार फिर सामने रखा है कि क्या पूरे भारत में हिन्दी को एक साझा भाषा के रूप में लागू करना संभव और व्यावहारिक है।

संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, और यह भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। इसके बावजूद, प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा को सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़कर देखता है। यही कारण है कि किसी एक भाषा के थोपे जाने की आशंका कई बार विरोध और असहमति को जन्म देती है।

यदि हम अन्य देशों की ओर देखें, तो स्थिति स्पष्ट है। फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन और चीन में मंदारिन राष्ट्रीय पहचान और प्रशासन की मूल भाषा हैं। वहाँ शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया, सभी क्षेत्रों में एक ही भाषा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इससे न केवल एकरूपता और दक्षता आती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और वैश्विक स्तर पर पहचान भी सुदृढ़ होती है।

भारत में भी हिन्दी को व्यापक रूप से अपनाने के कई लाभ हैं। यह विभिन्न राज्यों और भाषायी क्षेत्रों के बीच संचार को सरल बना सकती है। प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से अंग्रेज़ी पर अनावश्यक निर्भरता कम होगी। साथ ही, हिन्दी एक साझा सांस्कृतिक धारा के रूप में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की क्षमता रखती है।

इस दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) और सरकारी संगठनों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन उल्लेखनीय है। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार, इन संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यालयीन पत्राचार, फाइल नोटिंग, रिपोर्ट लेखन, बैठकों और वार्षिक योजनाओं में हिन्दी को क्रमशः प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। साथ ही, कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। यह पहल केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि कार्य संस्कृति में हिन्दी को धीरे-धीरे स्थापित करने का प्रयास है।

निष्कर्षतः, हिन्दी को पूरे भारत की साझा भाषा के रूप में स्थापित करना राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक दक्षता दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है। परंतु यह तभी संभव है जब क्षेत्रीय भाषाओं की सांस्कृतिक महत्ता और पहचान का पूर्ण सम्मान किया जाए। भारत की शक्ति उसकी भाषायी विविधता में निहित है, और यदि हिन्दी को संवाद और एकता का माध्यम बनाते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो यह पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाला सेतु सिद्ध हो सकती है।

एक बूंद पानी

पापिया घोष दस्तीदार
वरिष्ठ सहायक (ई आर पी)

"पानी है धरती की शान, पानी बचत हमारा काम जीवन का ऐसा कोई काज नहीं, बिना नीर हो उसका नाम"

- प्रदीप कुमार पटेल

पानी सबसे ज़रूरी संसाधन है और ग्रह का एक हिस्सा है। पानी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन असंभव है। लेकिन आजकल पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। जल संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो।

पानी की कमी के कारण

1. **अत्यधिक उपयोग :** पानी का अत्यधिक उपयोग करना पानी की कमी का एक मुख्य कारण है।
2. **प्रदूषण :** जल प्रदूषण भी पानी की कमी का एक बड़ा कारण है।
3. **जलवायु परिवर्तन :** जलवायु परिवर्तन के कारण भी पानी की कमी हो रही है।

जीवन में जल की आवश्यकता

"मैं पानी की बूंद हूँ छोटी, मैं तेरी प्यास बुझाऊँ।
पी लेगा यदि तू मुझको, मैं तुझको तृप्त कराऊँ"

- सर्वेश कुमार मारुत

पानी जीवन का आधार है, और एक छोटी सी बूंद पानी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बूंद पानी की उपयोगिता और महत्व को समझने के लिए, हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा।

हमारे शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60% है, और यह हमारे शरीर के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में मदद करता है। एक बूंद पानी भी हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकती है।

निम्नलिखित चित्र मानव शरीर और पृथ्वी में पानी का अनुपात दर्शाता है ;

एक बूंद पानी प्रकृति के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, और फिर नदियों, झीलों और महासागरों में जमा होती है। एक बूंद पानी का यह चक्र जीवन को बनाए रखने में मदद करता है।

जल संरक्षण: एक आवश्यकता : जल प्रदूषण हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। यह तब होता है जब रसायन, अपशिष्ट या प्रदूषक जैसे हानिकारक पदार्थ नदियों, झीलों और महासागरों जैसे जल निकायों को दूषित कर देते हैं, जिससे वे पीने के लिए असुरक्षित और जलीय जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं। जल प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट से लेकर प्लास्टिक और सीवेज का अनुचित निपटान शामिल है। इसके प्रभाव दूरगामी हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र, वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूषित जल बीमारियों का कारण बन

सकता है, खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है और जैव विविधता को नुकसान पहुँचा सकता है।

बूंद बूंद पानी की महत्वता को समझने के लिए, हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता को भी समझना होगा। पानी की कमी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि सूखा, पेयजल की कमी और कृषि की समस्याएं। इसलिए, हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए और इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।

पानी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व जीवन के लिए आवश्यक है। संरक्षण और उचित उपयोग ही इस संकट का समाधान है |पानी की महत्वता को समझने से हम पानी के महत्व को समझ सकते हैं और इसके संरक्षण में योगदान कर सकते हैं।

1. **पानी का संचयन :** पानी का संचयन करना एक अच्छा तरीका है जल संरक्षण करने का।
2. **पानी के उपयोग में बचत :** पानी के उपयोग में बचत करना भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
3. **वर्षा जल संचयन :** वर्षा जल संचयन करना भी एक अच्छा तरीका है जल संरक्षण करने का।
4. **जल प्रदूषण रोकना :** जल प्रदूषण रोकना भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है।

हालाँकि, सामूहिक प्रयासों जैसे अपशिष्ट को कम करना, उचित अपशिष्ट निपटान, पर्यावरण कानूनों को लागू करना और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। जल संरक्षण के लिए छोटे-छोटे कदम उठाकर, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

“अगर पानी है तो प्राण भी होगा “-इशी उम्मीद से वैज्ञानिकों भविष्य में रहने के लिए मंगल ग्रह पर पानी की तलाश कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए भविष्य में एक वैकल्पिक ग्रह की संभावना हो सकती है।

निष्कर्ष : जल संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पानी का संचयन करना, पानी के उपयोग में बचत करना, वर्षा जल संचयन करना और जल प्रदूषण रोकना चाहिए। अगर हम जल संरक्षण करेंगे तो भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी और जीवन सुचारु रूप से चलता रहेगा।

"जल ही है जीवन, जल ही है कारण
जल में ही पृथ्वी समाई
जल में ही जीवन की सच्चाई"।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी

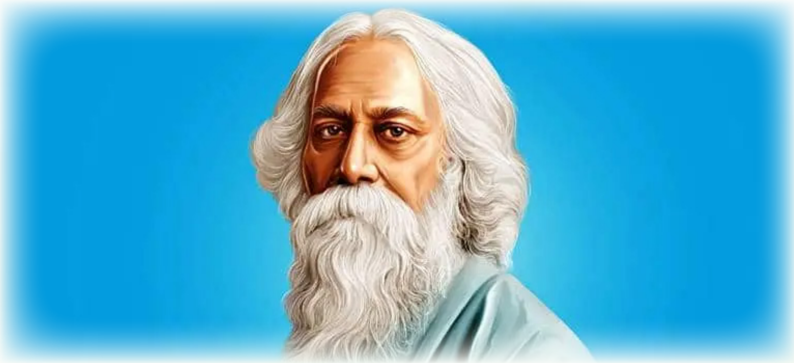

द्वैपायन भट्टाचार्य
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

रवीन्द्रनाथ टैगोर (1861–1941) भारत के ऐसे महान विभूति थे जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे केवल कवि ही नहीं, बल्कि लेखक, दार्शनिक, चित्रकार, संगीतकार, शिक्षाविद् और समाज-सुधारक भी थे। उन्हें अक्सर "गुरुदेव" की उपाधि से सम्मानित किया जाता है।

प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा

रवीन्द्रनाथ का जन्म 6 मई, 1861 को कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के जोड़ासाँको ठाकुर बाड़ी नामक प्रतिष्ठित एवं समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक दार्शनिक और ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे, वहीं उनकी माता शारदा देवी एक धार्मिक और संस्कारशील महिला थीं।

टैगोर की औपचारिक शिक्षा कई स्थानों पर हुई – वे स्कूल की पारंपरिक शिक्षा से असंतुष्ट रहते थे। इसीलिए उन्होंने स्वयं अध्ययन और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, दर्शन और भारतीय शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था।

साहित्यिक जीवन

टैगोर ने किशोर अवस्था से ही लेखन प्रारम्भ कर दिया था। उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, लघुकथाएँ और गीत जैसे विविध साहित्यिक रूपों में योगदान दिया।

उनकी रचनाएँ भावनाओं की गहराई, प्रकृति के सौंदर्य, मानवीय संवेदनाओं और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम मानी जाती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति "गीतांजलि" है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे एशिया के प्रथम साहित्यकार थे।

उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं:

- **कविता-संग्रह:** गीतांजलि, नैवेद्य, पूरबी, क्षणिका
- **उपन्यास:** गोरा, घरे-बाइरे, चौदरी, योगायोग
- **कहानियाँ:** काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, छुट्टी, दुनिया भर में प्रसिद्ध अनेक लघुकथाएँ
- **नाटक:** राजा, डाकघर, मुकुट, चित्रांगदा
- **निबंध एवं दार्शनिक लेखन:** शिक्षा, राष्ट्रवाद, मानवता और धर्म से जुड़े विचार

संगीत और कला

टैगोर संगीतकार भी थे। उन्होंने 2,000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें "रवीन्द्र संगीत" के नाम से जाना जाता है। उनका संगीत बंगाल और भारत की सांस्कृतिक आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उनकी दो रचनाएँ आज दो देशों के राष्ट्रगान हैं – भारत का "जन गण मन" और बांग्लादेश का "आमार शोनार बांगला"।

इसके अतिरिक्त टैगोर एक चित्रकार भी थे। उन्होंने 60 वर्ष की उम्र के बाद चित्रकला शुरू की और अपनी अनूठी शैली में सैकड़ों चित्र बनाए।

शैक्षिक और सामाजिक योगदान

रवीन्द्रनाथ टैगोर औपचारिक शिक्षा पद्धति के आलोचक थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा का मूल आधार जिज्ञासा और सृजनात्मकता होना चाहिए, न कि केवल पुस्तकीय ज्ञान।

इसी विचारधारा से उन्होंने 1901 में शांतिनिकेतन में एक आश्रम-पद्धति पर आधारित विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्व-भारती विश्वविद्यालय बना। यह संस्थान आज भी भारतीय और विश्व संस्कृति का संगम है।

वे राष्ट्रवाद, मानवता और विश्व-बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि सच्चा देशप्रेम संकीर्णता से ऊपर उठकर पूरी मानवता की सेवा में होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय पहचान

टैगोर ने विश्व के कई देशों की यात्राएँ कीं – जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के अनेक हिस्सों में उन्होंने व्याख्यान दिए। वे पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाले सेतु बन गए।

उनकी रचनाओं का अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हुआ है। महात्मा गांधी उन्हें "गुरुदेव" कहकर संबोधित करते थे।

निधन और विरासत

7 अगस्त, 1941 को कोलकाता में रवीन्द्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। किंतु उनकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत आज भी जीवित है। वे केवल एक कवि नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के द्रष्टा और विश्व मानवता के प्रवक्ता थे।

निष्कर्ष

रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन कला, साहित्य, संगीत और शिक्षा का अद्भुत संगम था। उन्होंने मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों को अपनी लेखनी और कर्मों से नई दिशा दी। उनका जीवन संदेश आज भी प्रेरणा देता है कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को स्वतंत्र, संवेदनशील और सृजनशील बनाए।

बरुन कांति दास
महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

सहकारिता की शक्ति

चलो मिलकर साथ चलें, यही है आज का नारा,
एकता और सहयोग से, बदलें जग सारा।

न कोई छोटा, न कोई बड़ा, सबको मिले अधिकार,
सहकारिता का यही है स्वर, यही है आधार।

किसान जब साथ आएं, बन जाए खेत ख़ज़ाना,
बुनकर, मज़दूर, व्यापारी – हर हाथ बने तराना।

नफ़ा सिर्फ़ कुछ लोगों का नहीं, हो सबका विकास,
सहकारी संगठनों से आए खुशियों की बौछार।

बैंक, मंडी, सेवा हो या शिक्षा का क्षेत्र,
सहकारिता से जुड़कर हर जीवन हो बेहतर।

2025 का यह वर्ष है बेहद खास,
सहकारिता से लाएँगे हम समृद्धि और विश्वास।

तो आओ सब मिलकर करें ये काम,
"सहकारिता" बने सबकी पहचान, सबका मान।

समय-समय की बात है

कुणाल वैद्य
प्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा)

1895 का साल था। रघुनाथ मिश्र, बनारस के पास एक छोटे से गाँव के अध्यापक, दिनभर बच्चों को पढ़ाते, शाम को गंगा किनारे टहलते, और रात को तारे गिनते हुए सो जाया करते थे।

उन्हें जीवन की यही सादगी प्रिय थी मिट्टी की खुशबू, दीये की लौ, और मनुष्य का मनुष्य से जुड़ाव।

एक रात, गाँव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। लोग कहने लगे उस पेड़ के नीचे कोई गुफा खुल गई है।

रघुनाथ जिज्ञासावश वहाँ पहुँचे। भीतर अँधेरा था, पर अचानक एक तेज़ नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया।

आँखें बंद हुईं, सिर चकराया... और जब उन्होंने फिर देखा तो सामने न मिट्टी का रास्ता था, न गाँव, न गंगा।

सड़कें चिकनी, हवा में धुआँ, और लोहे की गाड़ियाँ जिनसे आग निकलती थी!

हर तरफ़ चमक और शोर।

उन्होंने घबराकर कहा

"हे ईश्वर। यह कौन-सी दुनिया है? क्या मैं जीवित हूँ भी या नहीं?"

अर्जुन से मुलाकात

घबराए हुए रघुनाथ सड़क किनारे बैठे थे। उनके पुराने कपड़े और धोती देखकर लोग हँस रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था।

तभी एक युवक, अर्जुन, अपने स्कूटर से उतरा और उनके पास गया। अर्जुन को उन्हें देख अपने बाबा की याद आ गई।

"बाबा, आप ठीक हैं? आपको किसी ने छोड़ा है यहाँ?"

रघुनाथ की आवाज़ कॉप रही थी, "बेटा, यह कौन-सा नगर है? लोग हाथों में चमकते दर्पण लेकर किससे बात करते हैं?"

चमत्कारी युग का पहला दिन

अर्जुन ने उन्हें खाना दिया, नए कपड़े पहनाए।

रघुनाथ ने दीवार पर लगे टीवी को देखा और डर गए "यह कैसे बोल रहा है? भीतर कोई आदमी कैद है क्या?"

अर्जुन मुस्कुराया, "यह मशीन है, स्क्रीन। इससे हम दूर की बातें देख सकते हैं।"

फिर उसने मोबाइल दिखाया -

"यह फोन है। इससे आप किसी से भी कहीं से भी बात कर सकते हैं।"

रघुनाथ ने हैरानी से पूछा, "बिना डाकिए के बात कैसे पहुँचेगी?"

अर्जुन ने कहा, "अब हवा में नेटवर्क चलता है।"

मिश्र जी ने सिर पकड़ लिया, 'तो अब हवा भी डाकिया हो गई।"

अर्जुन ने कहा, "हाँ बाबा, अब देखिए दूध खतम हो गया है, blinkit से ऑर्डर कर देता हूँ।"

मिश्र जी ने हैरानी से पूछा, "ये blinkit कैसा नाम है गौ-माता का?"

यही बात लेकर दोनों हंस रहे थे और अर्जुन उन्हें समझ रहा था की blinkit क्या है, तब तक एक आदमी घर पे दूध देकर चला गया।

मिश्र जी ने महसूस किया कि मनुष्य इस युग में बहुत कुछ आराम से पाते हैं, और अब किसी को घर का सामान लेने लंबा इंतजार करना या यात्रा करना नहीं पड़ता।

आँखों में चुभता प्रकाश

रात को अर्जुन की छत पर जाकर उन्होंने आसमान देखा।

तारे बहुत कम थे। नीचे हर घर से चमकती रोशनी, हर कोने में बिजली, स्क्रीन, नीयन साइनबोर्ड...

उन्होंने दुख से कहा-

"ये कॉनसी दुनिया और कोनस समय है जहां रात काली नहीं और तारों से भरी नहीं। अब आसमान बुझ गया है।"

अर्जुन हँसते हुए बोला, "अब तो शहर कभी अँधेरा नहीं होता, बाबा।" रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, "पर क्या अंधेरे के बिना उजाला महसूस होता है, बेटा?"

एआई और खोई हुई सृजनशीलता

एक दिन अर्जुन ने उन्हें अपने लैपटॉप पर एक चित्र दिखाया -

"देखिए, यह चित्र मैंने एआई से बनवाया है। बस मैंने लिखा 'गंगा किनारे का सूर्योदय', और उसने बना दिया।"

चित्र सुंदर था, पर रघुनाथ की आँखों में नमी थी।

"बेटा, यह चित्र सुंदर है, पर इसमें आत्मा नहीं है।

जब कोई चित्रकार बनाता है, तो उसमें उसकी साँसें मिलती हैं, उसका मन उतरता है।

यह मशीन तो बना देती है पर महसूस नहीं करती।"

अर्जुन चुप रह गया। पहली बार उसे अपनी ही तकनीक पर प्रश्न खड़ा होता दिखा।

तनाव और बेचैनी

दिन बीतते गए। रघुनाथ कोशिश करते कि इस युग को समझें और अपने युग में जाने का

कोई रास्ता ढूंढ निकाले, लेकिन रोज असफल हो जाते।

लोग बातें कम करते, संदेश ज्यादा भेजते।

मुस्कुराहटें स्क्रीन पर थी, चेहरों पर नहीं।

वह हर दिन अर्जुन से पूछते -

"बेटा, क्या कोई मंदिर या साधु है जो समय में पीछे भेज सकता है?"

अर्जुन ने हँसते हुए कहा, 'समय में पीछे? यह तो विज्ञान-कथा है, बाबा।"

पर रघुनाथ हर रात उसी पीपल के पेड़ का सपना देखते नीली चमक और उनका गाँव।

उन्होंने देखा की वह जीतने दिन से अर्जुन के घर आए है, उससे मिलने उसका कोई दोस्त या परिवार के लोग नहीं आए। सभी उससे फोन पे ही बात करते। इसीलिए शायद उसे उनकी उपस्थिति से खुशी ही महसूस होती थी।

वापसी की राह

एक शाम, तेज़ बिजली और बारिश हुई। अर्जुन की गली में ट्रांसफार्मर फट गया, चारों ओर वही नीली चमक फैल गई।

मिश्र जी खिड़की पर खड़े थे। उस रोशनी में उन्होंने कुछ पहचाना वही ऊर्जा, वही कंपन

जो उस गुफा में हुआ था।

उन्होंने मन ही मन कहा- "शायद यही रास्ता है।"

अर्जुन भागा, "बाबा, खिड़की से हट जाइए।"

पर रघुनाथ मुस्कुरा दिए -

"अब लौटने का समय आ गया, बेटा।"

नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया।

जब अर्जुन ने आँखें खोलीं- बाबा गायब थे, सिर्फ़ एक चिट्ठी पड़ी थी।

वह चिट्ठी

"बेटा अर्जुन, तुम्हारा युग महान है, पर बेचैन भी। यहाँ मनुष्य ने सब कुछ रच लिया पर स्वयं को खो दिया।

आकाश के तारे ओझल हैं, और मन के तारे भी।

हम कम जानते है, पर मिलजुल कर जीते है।

तुम बहुत आगे बढ़े हो - अब ज़रा भीतर भी झाँकना सीखो, अपने करीबी लोगों से जुड़ना सीखो।

अर्जुन ने वह चिट्ठी सीने से लगा ली।

असली उजाला वही है जिसमें मन और आकाश दोनों चमकें।" बाहर अब भी बिजली चमक रही थी, पर उसके भीतर पहली बार शांति की एक किरण उतर आई थी।

जूते की महासभा

खेम चंद माली
प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

वेसे तो संघर्ष और पीड़ा हमे राह चलते कही बार देखी है, और कभी हम भी गुजरते होंगे। आज हम एक विशेष पीड़ा की बात करेंगे, एक दिन सवेरे मैं पथमार्ग से गुजर रहा था, मार्ग के किनारे एक मोची बैठा था। वहीं जूतों की एक विराट महासभा बुलाई गई। सभा स्थल पर अजीब-सा दृश्य था। रंग , आकार ,मूल्य, गुणवता, उपयोग आदि की विभिन्नताओ के साथ वो एक दूसरे से कुछ फूस-फुसाहट कर रहे थे – कोई अपने रंग की श्रेष्ठता बताता, कोई अपनी कोमलता और चमक पर इतराता। उनका कोई मखमली था तो कोई रूखा-सूखा चमड़े का, कोई पॉलिश से चमक रहा था तो कोई धूल और कीचड़ से भरा पड़ा था, मानो पूरी दुनिया से जूते अपने-अपने आकार, रंग और रूप में सजीव हो उठे हो।

शुरुआत में बातचीत हल्की-फुल्की रही आपसी खींचतान छोटे समूहों की आपसी श्रेष्ठा ऐसे ही चल रही थी । तभी भीड़ में से एक पुराना, अनुभवी और थका-माँदा जूता खड़ा हुआ। उसके तलवे जगह-जगह से फटे थे, किनारों पर धूल की परतें जम चुकी थीं, पर उसकी दृष्टि में अनुभव की गहराई थी। उसने कहा – "भाइयो! हमारी असली पहचान हमारे रंग या चमक में नहीं, बल्कि हमारे संघर्षों और उनकी परिणति में है।" उसके इतना कहते ही सभा का रुख बदल गया और चर्चा जूतों की वास्तविक पीड़ा पर जा पहुँची।

सबसे पहले वे जूते बोले जो रोज़ कीचड़, धूल और चट्टानों पर चलते थे। उनकी आवाज़ में करुणा और रोष मिला हुआ था। वे कह रहे थे – "हम ही वे हैं जो दलदल में धँसते हैं, बारिश में भीगते हैं और काँटों से छिलते हैं। हमारे तलवे घिस चुके हैं, हमारे धागे टूट चुके हैं, पर हम अब भी डटे हुए हैं। हमें न कभी पॉलिश की सुविधा मिलती है, न मुलायम मौजों का सुख। मालिक हमें जितना निचोड़ सकता है उतना निचोड़ता है और जब हम पूरी तरह थक जाते हैं, तो हमें कूड़े में फेंक देता है। हम भले ही आकर्षक न लगें, लेकिन हमारी असली शोभा हमारे घावों और मजबूती में है।", इस समूह की आवाज में संघर्ष तथा एक विशेष वर्ग के लिए रोष था।

दूसरे कोने से अब वे जूते बोले जो बाहर से चमचमाते थे। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी और बोझिल थी। उन्होंने कहा – "हमें मत समझो कि हम केवल दिखावे के प्रतीक हैं। हमारी चमक भी हमारे लिए एक बोझ है। हमें हमेशा साफ़-सुथरे रहने का दबाव है। ज़रा सा दाग़ पड़ जाए तो दूसरे जूते हमें तिरछी नज़रों से देखते हैं। हमें केवल मालिक की शोभा बड़ाने के लिए बनाया गया है, भले ही हम असली जीवन के कठिन रास्तों से दूर दिख रहे होंगे पर इस चमकीली दुनिया में हम तनावपूर्ण तथा निराशा भरी यात्राओ से गुजरते रहते हैं। हम भी भीतर से टूटते हैं, हमारे मुलायम सोल जल्दी घिस जाते हैं, पर बाहर की पॉलिश उस टूटन को ढक देती है। हम भी अकेले हैं, हमें भी डर सताता है - कहीं हम फैशन से बाहर न हो जाएँ।"

जूते की महासभा : सभा का वातावरण धीरे-धीरे गरमाने लगा। वही सयाना जूता अब नेता की तरह सामने आया। उसने सबकी पीड़ा को शब्द दिए, आँकड़े गिनाए, और भीड़ को अपनी ओर मोड़ लिया। उसकी वाणी में अपनापन और करुणा दोनों थे। उसने कहा – "हमारा दर्द ही हमारी ताक़त है। हमारे संघर्ष ही हमें असली पहचान देते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ें।" भीड़ ने उसका समर्थन किया, तालियाँ बजीं, और सभा भावनाओं से गूंज उठी।

परन्तु चमकदार जूतों का स्वर भी कहीं दबा नहीं। वे भी कह रहे थे – "हमारे बोझ को भी समझो। बाहर से चमकना आसान नहीं, भीतर से टूटकर भी मुस्कराना और कठिन है। हमें भी सुना जाए।" सभा का कोई ठोस निर्णय तो नहीं निकल सका, लेकिन एक सच्चाई सबके सामने थी-हर जूते की यात्रा अलग है। कोई संघर्ष के कारण महान है, तो कोई दिखावे के बोझ से दबा हुआ है।

इस प्रकार सभी जूतों ने विभिन्नता के परे, अपनी आवाज बुलंद की और अपने मुद्दों का समाधान करने का फैसला लिया ।

स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT): भारतीय शहरों का विकास

श्वेतांशु
उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)

तीव्र शहरीकरण के इस युग में, भारतीय शहरों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। इस विकट समस्या का समाधान स्मार्ट सिटी के रूप में उभरा है, जिसका मूल इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में निहित है। IoT, जो कि भौतिक वस्तुओं और प्रणालियों को सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने का एक अभूतपूर्व नेटवर्क है, शहरों को एक जीवंत और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में बदल रहा है। यह केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि एक साहसिक सामाजिक और आर्थिक अभियान है, जो शहरी जीवन को अधिक कुशल, सुरक्षित और नागरिकों के अनुकूल बना रहा है।

"तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, लेकिन स्मार्ट तकनीक शहरों को 'जीने लायक' बनाती है।"

IoT के अत्याधुनिक तकनीकी आयाम

IoT स्मार्ट शहरों की धमनी के समान है। यह विभिन्न शहरी प्रणालियों में वास्तविक समय (real-time) डेटा के आदान-प्रदान को संभव बनाता है।

स्मार्ट मोबिलिटी: IoT सेंसर, जैसे कि लूप डिटेक्टर और कैमरा-आधारित एनालिटिक्स, यातायात प्रवाह की निगरानी करते हैं। ये डेटा AI एल्गोरिदम को भेजकर ट्रैफिक लाइट को स्वचालित रूप से समायोजित करने में मदद करते हैं। इससे भीड़भाड़ कम होती है और यात्रा का समय घटता है। पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) इस तकनीक का सटीक उदाहरण हैं।

संसाधन दक्षता: स्मार्ट मीटर घरों और उद्योगों में पानी और बिजली की खपत का सटीक लेखा-जोखा रखते हैं। ये डेटा नागरिकों को अपनी आदतों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह, कचरा पात्रों में लगे अल्ट्रासोनिक सेंसर उनके भरे होने की स्थिति का संकेत देते हैं, जिससे कचरा संग्रह मार्गों को अनुकूलित किया जाता है और अनावश्यक यात्राएं बचती है।

सार्वजनिक सुरक्षा: IoT-आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, AI के साथ मिलकर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करते हैं और पुलिस को तत्काल अलर्ट भेजते हैं। ठाणे में लॉन्च की गई AI-इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस एक क्रांतिकारी पहल है, जो मरीज की स्थिति का डेटा सीधे अस्पताल को भेजकर चिकित्सा सहायता में लगने वाले समय को नाटकीय रूप से कम करती है।

भारी उद्योग मंत्रालय का अग्रणी योगदान

भारत के स्मार्ट सिटी और IoT मिशन में भारी उद्योग मंत्रालय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यह मंत्रालय देश के औद्योगिक और तकनीकी विकास का पायोनियर है।

- FAME इंडिया योजना: मंत्रालय ने FAME (Faster Adoption and Manufacturing

of Electric Vehicles) योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित किया है। यह पहल केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी बल देती है। ये चार्जिंग स्टेशन IoT से लैस होते हैं, जो उपयोगकर्ता डेटा और चार्जिंग स्लॉट की उपलब्धता की जानकारी प्रदान करते हैं।

- समर्थ उद्योग भारत 4.0: यह मंत्रालय की एक और दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य उद्योग 4.0 (चौथी औद्योगिक क्रांति) को बढ़ावा देना है। इसके तहत स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता है, जहां 10T सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग उत्पादन प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने और पूर्वानुमानित रखरखाव (predictive maintenance) के लिए किया जाता है। इससे औद्योगिक स्मार्ट शहरों की नींव रखी जाती है, जहाँ कारखाने और कर्मचारी दोनों परस्पर जुड़े होते हैं।

चुनौतियाँ और भावी परिप्रेक्ष्य

IoT की संभावनाएं असीमित हैं, किंतु इसके कार्यान्वयन में डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और मानकीकरण जैसी जटिल चुनौतियाँ भी हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए मजबूत नियामक ढाँचे और नागरिकों की जागरूकता आवश्यक है। भविष्य में 5G और 6G जैसी अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी, AI और एज कंप्यूटिंग का एकीकरण स्मार्ट शहरों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जहाँ हर नागरिक को एक बेहतर, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन मिलेगा।

तरुण कुमार दत्ता
लेखा अधिकारी

हमारा देश

भारत देश है हमारा
इस देश के अधिवासी हैं हम।
तिरंगा है हमारा निशान गर्व से भारतवासी
कहलाते हैं हम ।।
आसमान से ऊँचा हमारा निशान
न और कोई देश है इसके समान। सारी
दुनिया में है हमारी पहचान
हमारा देश है इतना महान ।।
समृद्ध इतिहास है हमारी
कई राजा, महाराजा तथा वीरों की कहानी ।
लिए पाठ अपनी जीवनशैली
नतमस्तक है दुनिया सारी ।।
आए थे पठान, मुगल लुटेरे
अंग्रेज व्यापारी कीये रुकावटें।
मिट गए वे लोग सारे
झंडा ऊँचा आज भी हमारा ।।
कई जाति, कई रंग. कई भाषा
भारतीय हैं हम, बुलंद है आर्थिक दिशा।
140 करोड़ एक हैं हम, एक अभिलाषा
विकसित भारत की झंडा ऊँचा रहे हमेशा ।।

दो पहियों पर एक दिन - बोरा गुफाओं और अराकू घाटी की रोमाँचक यात्रा

अभिरूप मैत्र
उप प्रबंधक (ईआरपी)
ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी इंडिया लिमिटेड

सुबह का अलार्म बजते ही मेरी आंखें खुल गईं। खिड़की से झांक कर देखा तो आसमान हल्की-सी सुनहरी आभा में रंगा हुआ था और शहर की गलियों में अभी भी नींद का सन्नाटा पसरा था। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। आज मैं और मेरी बाइक निकलने वाले थे एक ऐसे सफर पर, जिसे याद करते ही आज भी रोमाँच हो उठता है। मैंने अपनी राइडिंग जैकेट पहनी, दस्ताने चढ़ाए, हेलमेट कस कर बांधा और जैसे ही इंजन की पहली गरज कानों में पड़ी – एक अजीब-सा उत्साह दिल में भर गया।

शहर से बाहर निकलते ही सड़कों पर सन्नाटा था। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी, मानो पूरे सफर के लिए आशीर्वाद दे रही हो। शुरुआती रास्ता आसान था, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ा, दृश्य बदलने लगे। चौड़ी सड़कें पहाड़ियों की ओर मुड़ने लगीं, हरे-भरे जंगल और धुंध से ढकी घाटियां धीरे-धीरे सामने आने लगीं। बाइक की गूंज घाटियों में मिल रही थी और हर मोड़ पर ठंडी हवा का झोंका जैसे कह रहा था – "बस यहीं रुक जाओ, इस नज़ारे को और जी लो।"

थोड़ी देर बाद मैं गालिकोंडा व्यूपॉइंट पहुंचा – अराकू घाटी का सबसे ऊँचा बिंदु। वहां पहुंचते ही दिल थम-सा गया। पूरी घाटी बादलों की सफेद चादर में लिपटी हुई थी। नीचे धुंध ऐसे बिछी थी जैसे किसी ने रूई फैला दी हो। सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से छनकर आ रही थीं और पूरा नज़ारा सोने-सा चमक रहा था। हवा इतनी ठंडी और शुद्ध थी कि हेलमेट उतारते ही चेहरा ताज़गी से भर गया। मैंने बाइक किनारे लगाई और कुछ देर तक वहीं खड़ा उस दृश्य को अपनी आंखों और दिल में उतारता रहा।

गालिकोंडा से आगे का रास्ता और भी रोमाँचक था। सड़कें अब और संकरी और घुमावदार थीं। कभी चढ़ाई, कभी उतराई – हर हेयरपिन मोड़ पर बाइक मोड़ना अपने आप में एक एडवेंचर था। आसपास छोटे-छोटे गांव दिखाई दे रहे थे, जहां सुबह का जीवन शुरू हो चुका था – कहीं महिलाएं आंगन में झाड़ू लगा रही थीं, कहीं बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, और कहीं धुएं के गुबार में चाय बन रही थी जिसकी खुशबू तक महसूस हो रही थी।

कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा मिला। वहां भुट्टे और कबाब की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि रुकना पड़ा। गरमागरम भुट्टा, ऊपर से नींबू और नमक – उसका हर कौर इस सफर में एक और याद जोड़ रहा था। पहाड़ों के बीच बैठकर खाना, दूर तक फैली घाटी को निहारना – यह पल एकदम फिल्मी लग रहा था।

फिर रास्ता और खूबसूरत हो गया। बादल इतने पास थे कि ऐसा लग रहा था मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लूंगा। पहाड़ियों से नीचे झांकने पर कहीं छोटी-सी नदी चमक रही थी, कहीं चाय बागान की हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। बाइक की आवाज़ घाटियों में गूंज रही थी और मैं पूरी तरह सफर के जादू में खो चुका था।

थोड़ी देर बाद मैं बोरा गुफाओं के पास पहुंचा। पार्किंग में

ज्यादा भीड़ नहीं थी, यह राहत की बात थी। जैसे-जैसे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, गुफाओं की ठंडी हवा स्वागत करने लगी। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। लाखों साल पुराने स्टैलैक्टाइट्स और स्टैलैग्माइट्स अपनी आकृतियों में किसी प्राकृतिक मूर्तिकार की कारीगरी जैसे लग रहे थे। कुछ चट्टानें भगवान शिव के समान लग रही थीं, कुछ जानवरों जैसी आकृतियां बनाती थीं। अंदर की रंगीन रोशनी गुफा को और भी जादुई बना रही थी। पानी की हर बूंद गूंज कर रहस्य की एक परत और जोड़ रही थी।

गुफा से बाहर निकलने के बाद अराकू की ओर ढलान शुरू हुई। अब भूख लगने लगी थी। अराकू पहुंचकर मैंने वहां की मशहूर बांस चिकन और बांस बिरयानी का स्वाद लिया। बांस में पकने से चिकन में एक खास महक और धुएं का स्वाद आ गया था। मसाले पूरी तरह से चिकन में घुल गए थे और हर निवाला सफर की थकान मिटा रहा था।

लंच के बाद मैं अराकू ट्राइबल म्यूजियम गया। यहां आदिवासी संस्कृति, उनके त्योहार, उनके पारंपरिक हथियार, आभूषण और नृत्य की झलकियां देखना एक अद्भुत अनुभव था। वहां से निकलकर पास की कॉफी बगान में गया, जहां ताज़ी भुनी हुई कॉफी बीन्स की खुशबू पूरे वातावरण में फैली थी। मैंने वहां ताज़ा बनी कॉफी पी, जिसकी गरमी और स्वाद ने शरीर और मन दोनों को तरोताज़ा कर दिया।

दिन का आखिरी पड़ाव था तातिगुड़ा जलप्रपात। वहां पहुंचने से पहले ही झरने की गर्जना सुनाई देने लगी थी। जैसे ही पास पहुंचा, ठंडी फुहार चेहरे पर पड़ी और मैं तुरंत तरोताज़ा हो गया। सामने सफेद झरना चट्टानों से नीचे गिर रहा था और चारों ओर हरी-भरी प्रकृति थी। उस पल ने समय को थमा दिया। मैं वहां काफी देर बैठा रहा, बस उस नज़ारे को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करता रहा।

शाम ढलने लगी थी, और अब वापसी का समय था। रात में पहाड़ी रास्तों पर बाइक चलाना एक चुनौती थी। घुप अंधेरा, संकरी सड़कें और हर मोड़ पर सावधानी – यह सब मिलकर इस सफर को और रोमाँचक बना रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में आगे बढ़ते हुए हर मोड़ पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती थी, लेकिन यह डर भी मज़ेदार था।

आखिरकार देर रात मैं सुरक्षित विशाखापत्तनम वापस पहुंच गया। शरीर भले ही थका हुआ था, लेकिन दिल पूरी तरह से खुश था। यह सफर सिर्फ एक बाइक राइड नहीं था, यह एक ऐसा अनुभव था जिसने आत्मा तक को छू लिया। गालिकोंडा की ठंडी हवा, बोरा गुफाओं का रहस्य, अराकू के स्वादिष्ट व्यंजन और तातिगुड़ा के झरने – यह सब मेरी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है।

निराशा का शमन

आई डी मिश्र
प्राध्यापक
पिता श्री विशाल,
प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा)

सकारात्मक सोच हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ता है। हमें रचनात्मक बनाता है। हमारे भीतर नवीन सामर्थ्य का संचार करता है। यह आशा की सुगंध लेकर आता है, जिससे हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि हम निराशा के जाल में फंस जाते हैं, तो प्रगति की दिशा से भटक जाते हैं। और हम जहां हैं वहां से भी नीचे फिसल जाते हैं। निराशा हमारे संकल्पों पर ग्रहण की कालिख लगा देती है। हमारे स्वप्न टूटने लगते है। हम बिखरने लगते हैं। कोई भी कार्य ठीक गति से नहीं होता। जीवन में हताशा एवं नैराश्य दस्तक देने लगते हैं।

स्मरण रह कि आशा की किरण ही सफलता के आंगन को आलोकित करती हैं। एक बुजुर्ग इसी आशा में पेड़ लगाता है कि कल को आने वाली पीढ़ी इसके फलों का आस्वादन करेगी। वह यह सोचे कि उसे अब ज्यादा दिनों तक नीवित नहीं रहना है तो वह क्यों फलदार पेड़ लगाए? ऐसी स्थिति में तो वह निराशा के कूप में डूबकर तड़पने लगेगा। निराशा का तिमिर उसे कचोटने लगेगा। अगर वह निराशा की ऐसी पतवार थामे चलेगा तो मझदार में ही डूब जाएगा। जबकि आशा की सुधा जीवन को लालित्य प्रदान करती है। वह उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा की अंधकार हमारी क्षमताओं को लीलता है। हम अपनी सामर्थ्य को भूल जाते है। निराशा हमें भयाक्रांत करती है और समय के साथ उससे जुड़े भय और गहरे होते जाते हैं। इस कारण संभव दिख रही सफलता भी असंभव लगने लगती है।

जीवन में नैराश्य का मर्दन अत्यंत आवश्यक है अन्यथा हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। निराशा का जन्म नकारात्मकता से होता है और यही निराशा को पोषित करती है।

अतः सकारात्मकता का आवरण ही निराशा के प्रहारों से हमें बचा सकते है।

छोटी आदतें, बड़े नतीजे: प्रेरणा को बनाए रखने का मनोविज्ञान

डॉ. प्रियंका कुमारी
सहायक प्राध्यापक
मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान
पत्नी - श्री सौरभ मुस्कान

प्रेरणा को अक्सर अचानक उत्पन्न होने वाले उत्साह या भावनात्मक ऊर्जा के रूप में समझा जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताता है कि प्रेरणा कोई अनियंत्रित भावना नहीं है- यह व्यवहार, वातावरण और दोहराए जाने वाले कार्यों से निर्मित एक व्यवस्थित प्रक्रिया है (Ryan & Deci, 2000)। कार्यस्थलों में कर्मचारी अक्सर मानते हैं कि अत्यधिक प्रेरित लोग जन्मजात ऊर्जा रखते हैं, जबकि शोध लगातार यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रेरणा बड़े प्रयासों से नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों से विकसित होती है (Baumeister & Tierney, 2011)। मनुष्य लगातार उच्च तीव्रता वाली प्रेरणा के लिए नहीं बने हैं; वे नियमितता, स्थिरता और ऐसी प्रणालियों पर फलते-फूलते हैं जो प्रयास को आसान बनाती हैं। यही कारण है कि संगठनों में सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, बल्कि सरल दैनिक आदतों पर निर्भर रहते हैं।

प्रेरणा का कम होना लोगों की कमजोरी नहीं, बल्कि कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। संज्ञानात्मक बोझ, भावनात्मक थकान, अस्पष्ट लक्ष्य स्वायत्तता की कमी और लगातार मिलने वाले विकर्षण प्रेरणा को कम कर देते हैं। सेल्फ-डिटर्मिनेसन थ्योरी (Self-determination theory) बताता है कि प्रेरणा तब बढ़ती है जब तीन मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ-स्वायत्तता, दक्षता और जुड़ाव पूरी होती हैं, जब कार्यस्थल इन पर सीमाएँ लगाते हैं, तो प्रेरक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से घट जाती है (Ryan & Deci, 2000)। बड़े लक्ष्य अक्सर मस्तिष्क के लिए खतरे की तरह प्रतीत होते हैं, जिससे टालमटोल बढ़ती है (Inzlicht et al., 2015)। इसलिए प्रेरणा का कम होना चरित्र-दोष नहीं, बल्कि मानसिक दबाव के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।

मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा का कार्य दर्शाता है कि प्रेरणा जन्मजात नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विश्वास, वातावरण से मिलने वाले संकेत और छोटे-छोटे सफल अनुभवों से बनती है (Bandura, 1997)। जब लोग दैनिक छोटे-छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो उनमें स्वयं प्रभावकारिता (self-efficacy) बढ़ती है- यह विश्वास कि वे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं (Bandura, 2001)। इसका अर्थ है कि प्रेरणा "कार्य से जन्म लेती है"। जब व्यक्ति नियमित रूप से छोटे कदम उठाते हैं, तो वे स्वयं को सक्षम और दृढ़ मानने लगते हैं और प्रेरणा उनका स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है।

आधुनिक व्यवहार विज्ञान बताता है कि छोटे-छोटे कदम बड़े बदलावों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। BI Fogg के अनुसार आदतें तब बनती हैं जब वे सरल, कम समय लेने वाली और भावनात्मक रूप से संतोषजनक हों (Fogg, 2019)। मात्र दो मिनट का एक छोटा काम-जैसे दिन की एक प्राथमिकता लिखना-नियंत्रण का अनुभव देता है और मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम (Reward system) को सक्रिय करता है (Dolan et al., 2012)। न्यूरोसाइंस के अनुसार, डोपामाइन केवल पुरस्कार मिलने पर ही नहीं, बल्कि प्रगति की संभावना भर से भी सक्रिय हो जाता है (Schultz, 2016)। जब व्यक्ति छोटे-छोटे कार्य सफलतापूर्वक पूरा करता है, तो यह सकारात्मक चक्र निरंतर चलता रहता है और उससे गति (momentum) का निर्माण होता है (Duhigg, 2012)। इसी प्रक्रिया के माध्यम से रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें मिलकर बड़े और स्थायी परिणामों की मजबूत नींव रखती हैं।

संगठनात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि "छोटी सफलताएँ" बड़े उपलब्धियों की तुलना में अधिक प्रेरक होती हैं। टेरेसा अमाबाइल के हार्वर्ड अध्ययन से पता चलता है कि किसी भी कार्य में छोटा-सा प्रयास भी मनोबल, आत्मविश्वास और आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है (Amabile & Kramer, 2011)। बड़े लक्ष्य महीनों लेते हैं, और उस दौरान प्रगति का अनुभव कम मिलता है। इसके बजाय जब हम उन्हें छोटे चरणों में बाँटते हैं, तो रोज प्रगति स्पष्ट दिखती है। Locke और Latham का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत बताता है कि स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य ध्यान केंद्रित रखते हैं और मानसिक भ्रम को कम करते हैं (Locke & Latham, 2002)। अस्पष्ट लक्ष्य मन

को भटकाते हैं, सटीक लक्ष्य, ऊर्जा प्रदान करते हैं।

Implementation intentions पर शोध बताता है कि जब लोग कब, कहाँ और कैसे के साथ स्पष्ट योजना बनाते हैं, तो वे लक्ष्य को अधिक आसानी से पूरा करते हैं (Gollwitzer & Sheeran, 2006)। जब नई आदत किसी मौजूदा दिनचर्या से जोड़ी जाती है-जैसे सुबह की चाय के बाद दिन की योजना बनाना तो निर्णय लेने की मानसिक ऊर्जा बचाती है (Vohs et al., 2008)। यह "habit stacking" आदतों को स्थायी बनाता है।

प्रेरणा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक तत्व

सोचने का तरीका : सोचने का तरीका का भी बड़ा महत्व है। कैरल ड्वेक के "growth mindset" सिद्धांत के अनुसार, जब लोग मानते हैं कि कौशल प्रयास से विकसित होते हैं, तो वे अधिक प्रेरित और दृढ़ होते हैं (Dweck, 2006)। छोटी आदतें बार-बार यह प्रमाण देती हैं कि व्यक्ति सक्षम है, जिससे विकास-उन्मुख मानसिकता मजबूत होती है (Burnette et al., 2013).

पर्यावरण : पर्यावरण प्रेरणा को अदृश्य रूप से प्रभावित करता है। बेलर और सनस्टीन की चॉइस आर्किटेक्चर अवधारणा बताती है कि हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को आकार देता है (Thaler & Sunstein, 2008)1 साफ-सुथरा कार्यस्थल, व्यवस्थित कार्य सूची और डिजिटल विचलनों में कमी प्रेरणा बढ़ाती है। जब वातावरण सहयोगी होता है, तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है।

नियमित दिनचर्या : नियमित दिनचर्या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करती है। सुबह की आदतें, व्यवस्थित समय सारणी-और निश्चित कार्य संरचना मानसिक थकान कम करती है और आत्म-नियमन को बढ़ाती है (Baumeister & Vahs, 2007)। छोटी दिनचर्याएँ, जैसे सुबह पाँच मिनट की योजना या रात को दो मिनट का चिंतन, मानसिक शक्ति को धीरे-धीरे विकसित करती हैं (Muraven & Baumeister, 2000).

सामाजिक समर्थन : सामाजिक समर्थन भी प्रेरणा को पोषित करता है। बंडूरा के अनुसार, सहयोगी सहकर्मी, साझा लक्ष्य और सकारात्मक प्रोत्साहन आत्मविश्वास बढ़ाते हैं (Bandura, 2001)। सकारात्मक बातचीत ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है, जो विश्वास, जुड़ाव और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाती है (Carter, 2014)। सहकर्मी की छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा भी प्रेरक प्रभाव छोड़ती है।

आराम और पुनर्प्राप्ति : आराम और पुनर्प्राप्ति भी प्रेरणा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मानसिक थकान ध्यान और भावनात्मक नियंत्रण को कम करती है (Hockey, 2013)। माइक्रो-ब्रेक, हल्की सैर या गहरी साँस लेना ऊर्जा को पुनःस्थापित करता है। नींद मस्तिष्क की रचनात्मक क्षमता, निर्णय लेने की गुणवत्ता तथा आंतरिक प्रेरणा को गहराई से प्रभावित करती है (Walker, 2017)। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद से विचारों में स्पष्टता आती है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक स्वाभाविक रूप से प्रेरित महसूस करता है।

दैनिक चिंतन : दैनिक चिंतन (reflection) छोटे अनुभवों को दीर्घकालिक विकास में बदल देता है। अनुसंधान बताता है कि चिंतन आत्म-जागरूकता, लक्ष्य-लगन और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है (Grant, 2014)। प्रतिदिन एक सफलता और एक सुधार क्षेत्र लिखना चिंता कम करता है (Sitzmann & Ely, 2011) और सीखने को मजबूत करता है।

अंततः, प्रेरणा का मनोविज्ञान हमें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराता है कि छोटी-छोटी आदतें ही भविष्य की दिशा और स्वरूप को निर्धारित करती हैं।

विभिन्न शोध स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बड़े और स्थायी परिणाम छोटे-छोटे दैनिक कार्यों के निरंतर संचय से ही उत्पन्न होते हैं (Fogg, 2019)। प्रेरणा किसी एक बड़े प्रयास में नहीं, बल्कि छोटे कार्यों की निरंतरता में निहित होती है। जब व्यक्ति सहयोगात्मक वातावरण निर्मित करता है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है, अनुशासित दिनचर्या अपनाता है और छोटी-छोटी उपलब्धियों का उत्सव मनाता है, तब प्रेरणा स्वाभाविक रूप से विकसित होकर स्थायी रूप धारण कर लेती है। छोटी आदतें केवल व्यवहार में परिवर्तन नहीं लातीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान को भी रूपांतरित कर देती हैं। और जब पहचान बदलती है, तब प्रेरणा प्रयास के बिना स्वतः प्रवाहित होने लगती है। कर्मचारियों के लिए आज से शुरू किए जा सकने वाले व्यावहारिक हैबिट्स

- हर सुबह एक प्राथमिकता लिखें
- बड़े कार्यों को 10-15 मिनट के छोटे हिस्सों में बांटें
- कार्यस्थल को साफ़ और व्यवस्थित रखें
- "हैबिट स्टैकिंग" अपनाएँ (जैसे चाय के बाद दिन की योजना)
- रोज़ एक छोटी सफलता को स्वीकार करें
- हर 60-90 मिनट में माइक्रो-ब्रेक लें
- गहन कार्य के समय मोबाइल को दूर रखें
- दिन के अंत में दो मिनट का संक्षिप्त आत्म-चिंतन करें
- रोज़मर्रा में उठाए गए छोटे-छोटे कदम मिलकर वह गति उत्पन्न करते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता की मजबूत नींव बन जाती है-चाहे वह व्यक्ति हों या संगठन।

राखी कर
कंपनी सचिव

हमारा बचपन

बचपन को हम भूल नहीं पाते,
यादों के रंग आँखों में भर आते,
बीता पल होता अनमोल,
क्यों चले जाते हैं हमें छोड़।

खेलते-खेलते मन न भरता,
मित्रों का साथ छोड़ते न बनता,
कभी हँसाते कभी रुलाते,
फिर भी हमें पास बुलाते।

बचपन अगर कभी न जाता,
सरल मन ही सबको भाता,
माता-पिता से जुदा न होते,
हरदम उनके पास ही रहते।

जयश्री बंसल
प्रबंधक समन्वय

सहकारिता का गान

एकता के सूत्र में बंधे, ग्राम का हर कण,
सहकारिता का प्रकाश, फैले हर दिशा-प्रदेश।
खेतों में हँसी खिले, विकास का बने सम्मान,
प्रगति के पंख लगें, समृद्धि का हो संदेश।

मिल-जुल कर हाथ बढ़ाएँ, सपनों को आकार दें,
धान, हथकरघा, सबको दें खुशहाली का उपहार।
हर श्रमिक का श्रम सजे, हर किसान का मान बढ़े,
नव-भारत की रचना में, सहकार का दीप जले।

नारी हो सशक्त यहाँ, युवाओं में जोश खिले,
सहकार के इस पथ पर, गाँव-नगर साथ मिले।
हरित ऊर्जा की रौशनी, टिकाऊ कल का मान बढ़े,
सहकारिता के साथ से, विश्व में भारत नाम गढ़े।

सपनों का बने आधार, सहयोग का हर कदम,
शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, जीवन को दें सम्मान।
एक-दूसरे का हाथ थामें, चमके हर घर-आँगन,
सहकारिता की ज्योति से, उज्ज्वल हो भारत-भाग्य।

नीलकान्त दास
उप प्रबंधक (राजभाषा)

मन की सरहदें

रात की चुप्पी में रोया नहीं मैं,
पर नींद से पहले सोया नहीं मैं।
दिल में लिए घर की कुछ यादें,
चला फिर से पार करने सरहदें।
छुट्टी की मिठास अब कड़वी सी लगती है,
जब बेटे ने कहा-"पापा, मत जाना"-तो आँख नम हो उठती है।
पत्नी की ओढ़नी में छुपी हिम्मत थी,
पर उसकी मुस्कान में भारी शरारत थी।
वो रोटियाँ जो माँ ने बेलकर दीं,
अब टिफिन में हैं, पर भूख कहीं पीछे छूट गई।
घर का हर कोना अब तस्वीर बन गया,
जो बैरक की दीवार पर टंगी सांस बन गया।
वो दरवाज़ा जहाँ बेटा खड़ा करता था पहरा,
आज वहाँ बस एक सन्नाटा है गहरा।
खिलौनों की बिखरी हुई वो शाम,
अब बस यादों की लकीरें हैं तमाम।
"देश पहले है"-कहना तो आसान है,
पर हर बार ये दिल कहे-"क्या मेरा भी कोई अरमान है?"
क्या मेरा हक़ नहीं कि मैं भी बस पिता रह जाऊँ,
या किसी आम आदमी की तरह घर लौट आऊँ?
पर शायद यही मेरी किस्मत का लिखा है,
हर दर्द सहकर भी वतन से रिश्ता गहरा है।
तब तक जियूँगा एक फौजी बनकर यहाँ,
जब तक घर लौटकर बेटे को फिर सीने से न लगाऊँ वहाँ।

देवयानी भट्टाचार्य
पत्नी: द्वैपायण भट्टाचार्य

मानवता का उत्थान

शोक, पीड़ा, हताशा से पूर्ण धरा,
दर्द और अश्रु का संघर्षमय जीवन।
इस गहरे तम में –
हाथों को थामेगा कौन?
फेंक औरों को गर्त में,
हम चढ़ बैठे उच्चतम शिखर पर,
रीति बन चुकी है यही
प्रतिस्पर्धा-पूर्ण जीवन की।
टकराते विचार, भिड़ते अहंकार,
सत्ता का छिड़ा है रण घमासान,
महत्वाकांक्षा की उठती लपटें,
मानवता व आदर्श जाते हैं सिमटते।
क्या यह श्रृंखला रहेगी अटूट?
हारते रहेंगे युधिष्ठिर,
विजयोत्सव के उल्लास में –
मग्न रहेंगे दुर्योधन।
अश्रु और भग्न हृदय के आवरण में,
क्या मानवता होती रहेगी लज्जित व विसर्जित?
करुणा, सहानुभूति व ममता होती रहेगी धूमिल,
अत्याचार के इस भीषण बवंडर में।
नहीं – एक दृढ़ आशा है जीवित,
होगा उत्थान मानवीय भावनाओं का।
आसुरी शक्तियाँ होंगी विनष्ट,
घन-मध्य उदित होगी – नवकिरण।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

महुआ जाना
पत्नी : पवित्र कुमार जाना
उप महाप्रबंधक (तकनीकी)दक्षिण

अभिस्वीकृति

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। अब महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वे सशक्त होकर समाज में अपनी पहचान बना रही हैं।

परिचय

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बेटियों के प्रति संकीर्णताओं को दूर करना, भ्रूणहत्या रोकना तथा उनकी शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत सरकार ने छात्रवृत्ति, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित कई योजनाएँ प्रारंभ की हैं। साथ ही महिलाओं के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनसे वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी आवश्यकता

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में भारत सरकार ने बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभकिया। उस समय लिंगानुपात, संकीर्ण मानसिकता और धार्मिक सांस्कृतिक धारणाओं के कारण लड़कियों की शिक्षा व विकास में बाधाएँ थी। अभियान ने समाज में व्यापक जागरूकता लाई, सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुआ तथा लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता मिली। इससे उनकी स्थिति सुधरी, अवसर बढ़े और जनसंख्या में कमी रोकने व उन्हें शिक्षित एवं सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

एक सरकारी योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे बेटियों के प्रति सामाजिक असमानताओं और प्रतिबंधों को दूर करने हेतु शुरू किया गया। भारतीय समाज में लड़कियों पर लगाए गए अवांछित प्रतिबंध उनके विकास में बाधा बने थे। माता-पिता अक्सर लड़कियों को "पराया धन" मानकर उनकी शिक्षा और सुरक्षा को नजरअंदाज करते थे, जबकि महिला भ्रूणहत्या तेजी से बढ़ रही थी। यह योजना अत्याचार, असुरक्षा रोकने और बेटियों के जीवन, शिक्षा व सम्मान की रक्षा करने का उद्देश्य रखती है।

भारत में लड़कियों के प्रति उत्तरदायित्व

भारत में लड़कियों के प्रति उत्तरदायित्व का अर्थ है कि समाज को उनकी सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए। लड़कियों को उनके रुचि और क्षमता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बन पाएं। उनका आत्मनिर्णय का अधिकार सुरक्षित रहे तथा वे आत्मविश्वास से जीवन जी सकें। साथ ही समाज को उनकी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए और हर प्रकार के भेदभाव व उत्पीड़न को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में हमें उनके सम्मान, विकास और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

समाज में लड़कीओ के प्रति पूर्वाग्रह का समापन लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह का समापन करने के लिए समाज में जागरुकता और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जैसे:

1. समाज में लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह समाप्त करने के लिए व्यापक जागरूकता फैलाना और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना आवश्यक है।

2. लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाया जाना चाहिए।
3. साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएँ और उनके अधिकारों व कानूनी सुरक्षा की जानकारी प्रदान की जाए।
4. सफल महिला व्यक्तित्वों की प्रेरक कहानियाँ साझा कर लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
5. परिवारों और समाज को समानता, समरसता और लिंग समानता की भावना अपनाते हुए लड़कियों के प्रति सहयोग, सम्मान और समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह कम हो सके।

इन कदमों के साथ, हम सबको एक साथ काम करना होगा ताकि हम एक समान में लड़कियों के प्रति पूर्ववाग्रह को खत्म कर सकें और समाज में समरसता और उन्नति की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

बेटी को शिक्षित बनाने के उपाय

1. बेटियों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए तथा अच्छे स्कूल और कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए।
2. माता-पिता स्वयं आदर्श बनकर बेटियों को प्रेरित करें और पढ़ाई में निरंतर सहयोग व उचित मार्गदर्शन दें।
3. नियमित अध्ययन के लिए उपयुक्त समय और शांत वातावरण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रोत्साहनात्मक माहौल बनाया जाए।
4. इंटरनेट के सुरक्षित और सीमित उपयोग के तरीके सिखाए जाएँ तथा डिजिटल माध्यमों से सीखने के सकारात्मक अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
5. सफल महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियाँ साझा कर रोल मॉडल प्रस्तुत किए जाएँ और समाज व समुदाय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।

बेटी के प्रति सामाजिक सोच और परिपक्वता

1. समाज में बेटी के जन्म का स्वागत और सम्मान होना चाहिए।
2. बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए।
3. उनकी क्षमताओं और प्रतिभा की सराहना कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समर्थन दिया जाए।
4. सामाजिक सोच में परिपक्वता लाकर बेटियों के प्रति सकारात्मक वातावरण विकसित किया जाए।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. लड़कियों की सुरक्षा: उनके अधिकारों की रक्षा कर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना।
2. लड़कियों की शिक्षा: उन्हें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सशक्त बनाना।
3. जनसंख्या नियंत्रण: शिक्षित लड़कियां परिवार में जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग करती हैं।
4. लिंग समानता: समाज में लड़कियों को समान अवसर और समर्थन देकर समरसता बढ़ाना।
5. महिला उत्थान: महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त कर उनके जीवन स्तर को सुधारना।
6. ये उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं के समग्र विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर बेटी की यही पुकार उन्हें भी मिले शिक्षा और जीने का अधिकार ..

समाज में लड़कियों की गिरती संख्या

लड़कियों की घटती संख्या और उनके प्रति समाज की नकारात्मक सोच को बदलने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी कई लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, जबकि वास्तव में बेटियाँ परिवार और समाज के लिए गौरव होती हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा का वातावरण बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनेक अवसरों पर कहा है कि महिलाओं की उपलब्धियाँ समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक हैं। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफल बेटियों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि समान अवसर मिलने पर बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। यह अभियान कन्या भ्रूण हत्या रोकने, लिंग भेद मिटाने और बेटियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सहायक है।

शब्द एक अर्थ अनेक

पानी
- पानी पीना है। - पानी
- आँख का पानी। - शर्म, आँसू
- आसमान पानी भरा है। - बादल
- छाता ले लो, पानी आएगा। -वर्षा
- मुँह का पानी उतर गया। -लावण्य
- असली नहीं, पानी चढ़ा है सोने का। (चमक, पॉलिश)
- नदी का पानी उतर गया। -बाढ़
- तीर्थ में पानी पढ़ कर दे आया।- संकल्प करके दान
- चाकू का पानी उतर गया।- धार, पैनापन
- खानदान का पानी चला गया।- सम्मान
- मुँह में पानी भर आया। -ललचाना
- सुनते ही पानी-पानी हो गया। -लज्जित

हाथ
- उसने मेरा हाथ पकड़ा। - शारीरिक अंग
- काम में उसका हाथ साफ़ है।-कुशलता
- इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है।- संबंध या भूमिका
- उसने ज़रूरतमंद की मदद को हाथ बढ़ाया। -सहयोग
- पुलिस के हाथ अपराधी लग गया। -पकड़ में आना
- अब यह काम उसके हाथ में है।-अधिकार
- उसने अपने हाथ खींच लिए। मदद बंद करना
- समय रहते हाथ न लगाया तो मौका चला गया। -कार्य करना

सिर
- उसके सिर पर चोट लगी। -शरीर का भाग
- यह जिम्मेदारी मेरे सिर है।-उत्तरदायित्व
- उसके सिर पर पिता का साया नहीं रहा। -संरक्षण
- सिर पर आसमान टूट पड़ा।-भयंकर संकट
- उसकी बात मेरे सिर के ऊपर से गई।-न समझना
- वह सिर झुकाकर खड़ा रहा।-लज्जा, विनम्रता
- उसके सिर पर सफलता का नशा चढ़ गया। -अभिमान
- राजा के सिर पर ताज है।-पद, अधिकार

रंग
- कपड़े का रंग उतर गया।-वास्तविक रंग
- होली में चारों ओर रंग उड़ रहे हैं।-गुलाल
- राजनीति का रंग बदल गया।-रूप, स्वरूप
- उसके चेहरे का रंग उड़ गया।-डर, घबराहट
- उसकी बातों में रंग था।-रोचकता
- मेहनत रंग लाई – मेहनत का फल मिलना
- समय का रंग बदल गया।-परिस्थिति में परिवर्तन
- प्यार का रंग चढ़ गया।-भावनाओं की गहराई

दिल
- उसका दिल बहुत साफ़ है।-स्वभाव
- यह बात मेरे दिल को छू गई।-भावना
- उसका दिल बैठ गया।-साहस टूटना
- दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लिया। -भावनाओं को दबाना
- उसने मेरा दिल जीत लिया।-पसंद आना
- अब मेरा दिल भर गया है।-ऊब जाना
- उसकी याद आते ही दिल धड़कने लगा। -भावुकता
- उसका दिल बड़ा है।-उदारता

मन
- मेरा मन नहीं लग रहा।-रुचि, एकाग्रता
- उसने विदेश जाने का मन बना लिया।-निर्णय
- बच्चे का मन रखने के लिए खिलौना दिया। -खुश करना
- साधु ने मन जीत लिया।-इंद्रिय-विजय
- उसने मेरा मन तोड़ दिया।-भावनात्मक चोट
- मेरा मन उचट गया है।-रुचि समाप्त
- काम में पूरा मन लगाओ। -समर्पण
- उसका मन बहुत बड़ा है। -उदारता

आग
- चूल्हे में आग जल रही है।-ताप, ज्वाला
- उसके मन में आग धधक रही है।-क्रोध
- दामों में आग लगी हुई है।-अत्यधिक वृद्धि
- उसकी बातों में भी आग थी।-जोश, प्रभाव
- खेत में आग लग गई।-विनाश
- आँखों में आग सी जल रही है।-रोष, तेज़
- उसने अपने करियर में नई आग भर दी।-उत्साह
- आग पर घी डालने जैसा काम किया।-स्थिति और भड़काना

बात
- यह बात सही है। -तथ्य, सत्य
- उसने मेरी बात नहीं मानी।-सलाह, अनुरोध
- बात-बात पर नाराज़ हो जाता है।-प्रसंग, अवसर
- तुमसे एक जरूरी बात करनी है।-चर्चा, सूचना
- यह बात अब सबको पता चल गई।-रहस्य, गोपनीयता
- उसने बात का बतंगड़ बना दिया।-छोटी बात को बड़ा विवाद बनाना
- उसकी बात में दम है।-तर्क, सच्चाई)
- बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। स्पष्टता, सीधापन
- दोनों परिवारों की बात पक्की हो गई। समझौता, विवाह-संबंध
- अब बात बहुत बढ़ चुकी है। झगड़ा, विवाद

हवा
- आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। -पवन
- गर्म हवा से सब बेहाल हैं।-गर्मी की लहर
- उसकी हवा निकल गई।-डर जाना
- यह हवा पूरे शहर में फैल गई है।-अफ़वाह
- अब उसकी हवा बदल गई है।-भाग्य या दशा बदलना
- वहाँ तो उसकी हवा चलती है।-प्रभाव, प्रभुत्व
- वह हवा में उड़ रहा है।-अहंकार या आत्ममुग्धता
- हवा का रुख बदल गया है।स्थिति में परिवर्तन
- अब यह बात हवा हो गई।-व्यर्थ या निराधार होना
- नई हवा में नई सोच की खुशबू है। (परिवर्तन, नवाचार)

हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में राजभाषा विभाग की डिजिटल पहलें

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का एक प्रमुख संवैधानिक दायित्व संघ के सभी केंद्रीय कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी विभाग का दायित्व है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी सीखने हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कम्प्यूटर एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी में आई तकनीकी क्रांति को दृष्टिगत रखते हुए राजभाषा विभाग ने सी-डैक, पुणे के माध्यम से विभिन्न सॉफ्टवेयर ई-टूल्स, उत्पाद एवं समाधान विकसित किए हैं। ये ई-टूल्स हिंदी सीखने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अध्ययन, सरकारी दस्तावेजों के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद तथा कार्यालयी दैनिक कार्यों को कंप्यूटर द्वारा सरलता से संपन्न करने में सहायक हैं।

हिंदी शब्द सिंधु (एक बृहत् एवं समावेशी डिजिटल शब्दकोश)

राजभाषा विभाग द्वारा विकसित हिंदी शब्द सिंधु एक बृहद्, समावेशी एवं हिंदी–से–हिंदी डिजिटल शब्दकोश है, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को समाहित किया गया है। यह परियोजना वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की प्रेरणा से, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय) के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बहुविषयक शब्दावली को एकीकृत मंच पर उपलब्ध कराना है। इस कोश में हिंदी, हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ-उपभाषाएँ तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ तकनीक, विज्ञान, स्वास्थ्य, मीडिया, विधि आदि क्षेत्रों की शब्दावली सम्मिलित है। यह पूर्णतः डिजिटल, वेब-आधारित, यूनिकोड समर्थित तथा मानकीकृत वर्तनी पर आधारित है। इसके द्वितीय संस्करण में 3,51,000 शब्द शामिल हैं और वर्ष 2029 तक इसे विश्व का सबसे बड़ा एवं अद्यतन समावेशी कोश बनाने का लक्ष्य है।

कंठस्थ 2.0 (अनुवाद सारथी)

कंठस्थ 2.0 राजभाषा विभाग द्वारा न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन तथा मेमोरी ट्रांसलेशन तकनीकों को समेकित करते हुए विकसित किया गया एक उन्नत अनुवाद सॉफ्टवेयर टूल है, जिसे सी-डैक, पुणे के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका लोकार्पण 14 सितंबर, 2022 को सूरत (गुजरात) में आयोजित हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा किया गया। वर्ष 2023 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी में इसके मोबाइल संस्करण का भी लोकार्पण हुआ।

पुणे में 14–15 सितंबर, 2023 को आयोजित हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर कंठस्थ 2.0 के ई-ऑफिस से एकीकृत संस्करण का लोकार्पण किया गया। इस अद्यतन संस्करण में 4 करोड़ से अधिक वाक्यों का व्यापक अनुवाद डेटाबेस, स्मार्ट चैटबोट (FAQs आधारित सहायता) तथा वॉयस टाइपिंग जैसी नवीन सुविधाएं सम्मिलित हैं, जिससे अनुवाद अधिक सटीक, त्वरित और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो गया है।

भारतीय भाषा अनुभाग : भाषायी समन्वय की दिशा में एक पहल

भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य भारत की समृद्ध भाषायी विविधता को संरक्षित रखते हुए प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज एवं प्रभावी अनुवाद को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर एवं तकनीकों का लक्ष्य भाषायी समन्वय को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों के लिए बहुभाषी संचार को सरल बनाना है। परियोजना के अंतर्गत संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर अनुवाद की सुविधा प्रदान की जाएगी।

यह अनुवाद सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग एवं न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (NMT) आधारित उन्नत तकनीक पर आधारित होगा, जिससे त्वरित, सटीक और सहज अनुवाद संभव हो सकेगा। इसके माध्यम से सरकारी दस्तावेज़ों, अकादमिक शोध, कानूनी लेखन, तकनीकी सामग्री तथा प्रशासनिक संवाद का एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रभावी रूपांतरण किया जा सकेगा। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भाषायी समरसता को बढ़ावा देना है, ताकि नागरिकों को उनकी मातृभाषा में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध हो सके और विभिन्न क्षेत्रों में भाषा संबंधी बाधाएँ कम हों।

हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम में जारी किया गया है । हिन्दी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है । इन तीन क्षेत्रों यथा 'क', 'ख' और 'ग' का विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छतिशगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ग क्षेत्र से क व ख के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3	हिन्दी में टिप्पण	80%	55%	35%
4	हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
6	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
7	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉ-निक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%
8	वेबसाईट द्विभाषिक हो	100%	100%	100%
9	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
10	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	प्रति तिमाही 1 बैठक		

ध्यातव्य है कि उपर्युक्त क्रमांक 1, 3, 4 एवं 9 में गत वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि की गई है।
अतः सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हर स्थिति में सुनिश्चित करें ।

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि में वृद्धि

(राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का निर्णय)

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) की राशि में वृद्धि की गई है।

इसके साथ ही, निजी प्रयत्नों से उपर्युक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि में भी वृद्धि स्वीकृत की गई है।

यह संशोधन राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/25/2024-रा.भा. (प्रशि.), दिनांक 01 जुलाई, 2025 के अनुसार प्रभावी किया गया है।

इस निर्णय से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि में दक्षता प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

क्रम सं.	हिंदी शिक्षण योजना का हिंदी भाषा परीक्षा	वर्तमान नगद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
	क. प्रबोध		
1	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1600/-	रु. 4000/-
2	60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-	रु. 2000/-
3	55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-	रु. 1000/-
	ख. प्रवीण		
1	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1800/-	रु. 4500/-
2	60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 1200/-	रु. 3000/-
3	55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 600/-	रु. 1500/-
	ग. प्राज्ञ		
1	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 2400/-	रु. 6000/-
2	60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 1600/-	रु. 4000/-
3	55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-	रु. 2000/-
	II हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षा		
	क. हिंदी टंकण		
1	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 2400/-	रु. 6000/-
2	95% या इससे अधिक परंतु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 1600/-	रु. 4000/-
3	90% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-	रु. 2000/-
	ख. हिंदी आशुलिपि		
1	95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 2400/-	रु. 6000/-
2	92% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 1600/-	रु. 4000/-
3	88% या इससे अधिक परंतु 92% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-	रु. 2000/-
	III निजी प्रयत्नों से शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परिक्षाएं		
1	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रु. 1600/-	रु. 3500/-
2	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रु. 1500/-	रु. 4000/-
3	हिंदी शिक्षण की प्रज्ञा परीक्षा	रु. 2400/-	रु. 6000/-
4	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा	रु. 1600/-	रु. 4000/-
5	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	रु. 3000/-	रु. 7500/-

सेवा निवृत होनेवाला कर्मचारी (जनवरी 2025 से सितम्बर 2025 तक)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	से	तक
1	श्री सुबीर कोले	महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)	23 मई 1988	31 जनवरी 2025
2	श्री अमल बीसी	वरिष्ठ प्रबंधक	01 अगस्त 1989	31 जनवरी 2025
3	श्रीमती साबित मित्रा	वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन)	01 मार्च 1990	31 जनवरी 2025
4	श्री प्रबीर घोष	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	01 जून 2006	31 जनवरी 2025
5	श्री सुभास चंद्रा दास	वरिष्ठ लेखा सहायक	01 जून 2006	31 जनवरी 2025
6	मो. मसूद	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	01 जुलाई 2007	31 जनवरी 2025
7	श्री सुजीत गंगोपाध्याय	वरिष्ठ फार्मासिस्ट	15 जनवरी 2010	31 जनवरी 2025
8	श्री अरूप कुमार चक्रवर्ती	यांत्रिक फिटर	07 अक्टूबर 1987	31 जनवरी 2025
9	श्री सुबीर चक्रवर्ती	फिटर	07 अक्टूबर 1987	31 जनवरी 2025
10	श्री मोतीलाल रजक	सफाईकर्मी	01 अगस्त 1998	31 जनवरी 2025
11	श्री आलोक कुमार मजूमदार	फिटर हेल्पर	01 जनवरी 2010	31 जनवरी 2025
12	श्री प्रसून नाथ	उप महाप्रबंधक	01 दिसम्बर 1989	28 फरवरी 2025
13	देबजित मुखर्जी	सहायक महाप्रबंधक (अनुरक्षण) वर्क्स	01 अप्रैल 1991	28 फरवरी 2025
14	सोमनाथ सेन	वरिष्ठ प्रबंधक (उत्पादन) वर्क्स	01 अप्रैल 1991	28 फरवरी 2025
15	श्री अस्टोम कुमार घोष	मशीन चालक	01 अप्रैल 1987	28 फरवरी 2025
16	श्री बिरेन दास	ग्रुप लीडर	07 अक्टूबर 1986	31 मार्च 2025
17	श्री तपन चक्रबर्ती	उप महाप्रबंधक (समन्वय/परियोजनाएं)	01 अप्रैल 1991	30 अप्रैल 2025
18	श्री ध्रुव नाथ ठाकुर	दरबान	18 जनवरी 2010	30 अप्रैल 2025
19	प्रियनाथ सामल	उप प्रबंधक (लेखा)	01 अगस्त 1998	30 अप्रैल 2025
20	अशोक माईती	तकनीकी चार्ज हैन्ड	01 नवम्बर 2009	30 अप्रैल 2025
21	श्री सिवप्रसाद बी. मेनन	वरिष्ठ आशुलिपिक टंकक	01 अगस्त 1998	31 मई 2025
22	श्री अजित कुमार नायेक	वरिष्ठ लेखा सहायक	31 मार्च 2007	31 मई 2025
23	श्री सुबीर कुमार रीत	फिटर	19 जून 1990	30 जून 2025
24	श्री अशोक पाटिल	हेवी ड्यूटी क्रैन ऑपरेटर	05 अप्रैल 2013	30 जून 2025
25	श्री संजय सेनगुप्ता	वरिष्ठ लेखा सहायक	01 अप्रैल 2006	30 जून 2025
26	श्रीमती प्रणति मण्डल	सहायक महाप्रबंधक (ईआरपी)/एचआर	02 जनवरी 1989	31 जुलाई 2025
27	श्री कमलेश मण्डल	सहायक महाप्रबंधक (समन्वय),हल्दिया	01 मार्च 1994	31 अगस्त 2025
28	श्री अरूप चौधुरी	सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) पश्चिम	30 अगस्त 2007	31 अगस्त 2025
29	श्री अजय कुमार दत्ता	अधिकारी (लेखा)	01 अप्रैल 2006	31 अगस्त 2025
30	श्री अभिजीत राय गोस्वामी	महाप्रबंधक (उत्तर पूर्व)	01 दिसम्बर 1989	30 सितम्बर 2025
31	श्री प्रणब पांडा	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	01 अगस्त 1998	30 सितम्बर 2025
32	श्री उमेश प्रसाद	हाइड्रा ऑपरेटर	01 अप्रैल 2013	30 सितम्बर 2025
33	श्री अरुण ठाकुर	हाइड्रा ऑपरेटर	06 अप्रैल 2013	30 सितम्बर 2025
34	खान गियासुद्दीन बलबन	वरिष्ठ भण्डार सहायक	01 जुलाई 2006	30 सितम्बर 2025

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता द्वारा सम्मान

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता की छः माही समीक्षा बैठक के दौरान कम्पनी को राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार 2024-25 में तृतीय पुरस्कार तथा गृह पत्रिका "प्रबोधन" हेतु द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री नाव रत्न गुप्ता, निदेशक (वित्त) एवं श्री सौरभ मुस्कान, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा एवं मानव संसाधन) ने कम्पनी की ओर से पुरस्कार ग्रहण किए

नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्री कुणाल बैद्य, प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) एवं श्री गुरुतिलक कोले, वरिष्ठ सहायक (मानव संसाधन) को क्रमशः दो प्रथम एवं एक द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह

हिन्दी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन-2025, गांधीनगर (गुजरात) तथा राजभाषा स्वर्ण जयंती समारोह में कम्पनी के कर्मचारियों ने सहभागिता दर्ज की

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियो में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा! जय हिंदी

कार्यालय की राजभाषा संबंधी गतिविधियां

कार्यालय की अन्य गतिविधियां

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED

(भारत सरकार का एक उद्यम / A Government of India Enterprise)

सीआइएन नं०/ CIN No. U27310WB1920GOI003601

Building Nation Since 1920

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पांचवी मंजिल, कंकडिया सेंटर
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता – 700 071

BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)
5th Floor, Kankaria Centre,
2/1, Russel Street, Kolkata - 700071

+91(33)2217-2108 ईमेल : bridge@bridgeroof.co.in bridgeroof.co.in

bandr1920 @bridgenroof /bridgenroof /bridge-and-roof @bridgeroofco.iltd.289